पर्यटन नीति 2025

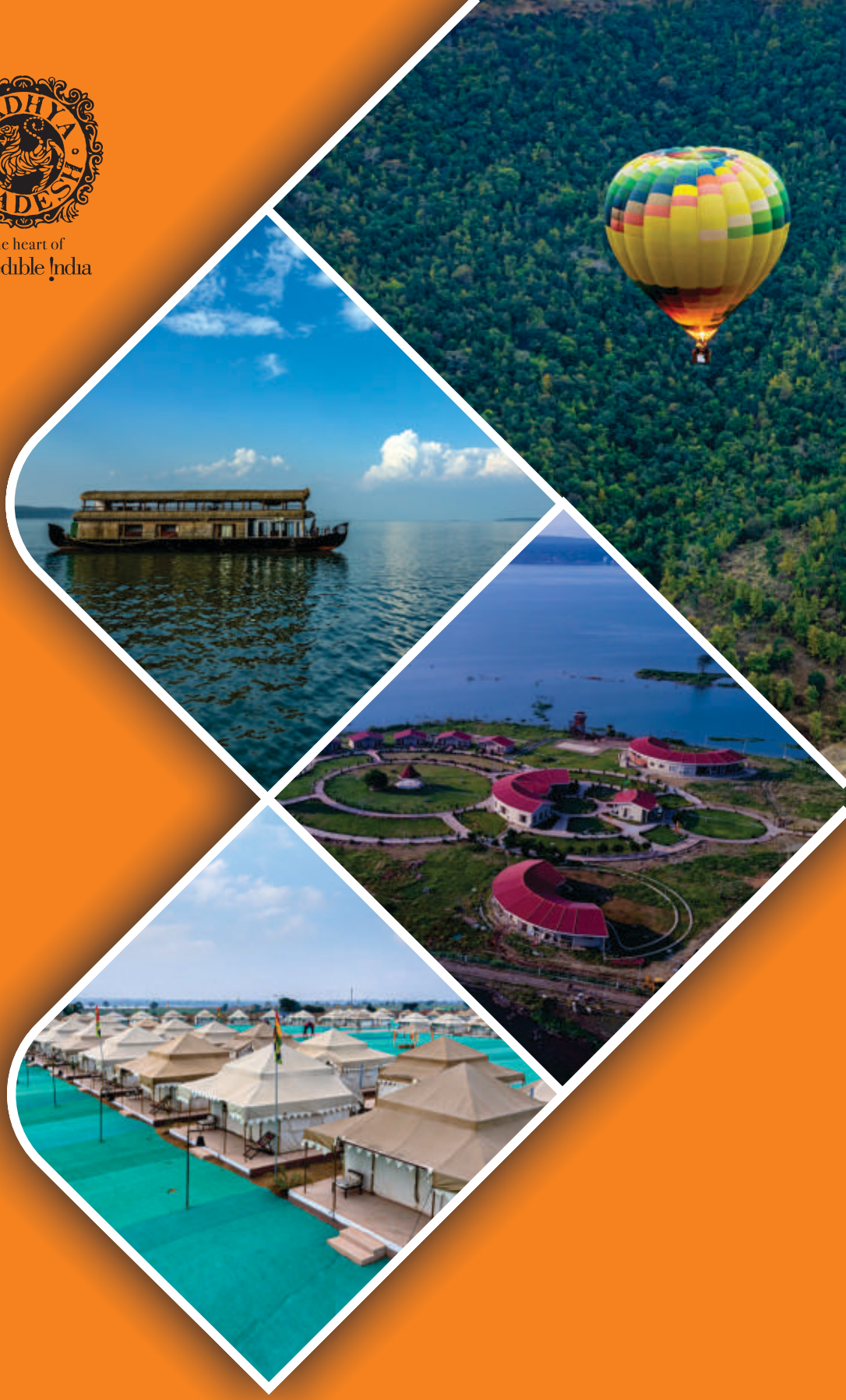

TOURISM POLICY 2025

पर्यटन नीति 2025

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

क्रमांक-91/मु.मं.प्रे.प्र./25
भोपाल, दिनांक :- 22-02-2025

संदेश

मध्य प्रदेश, जिसे "अतुल्य भारत का हृदय" कहा जाता है, सांस्कृतिक विरासत, विविध वन्य जीवन, पवित्र धार्मिक स्थलों से समृद्ध है, और सिनेमा पर्यटन में इसकी प्रमुख उपस्थिति है। प्रदेश परंपरा और आधुनिकता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पेश करता है।

प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने के दृष्टि से हमने निवेशक मित्र "पर्यटन नीति : 2025" लागू की है। यह नीति न केवल समग्र अनुभव को समृद्ध करेगा बल्कि मध्य प्रदेश में निजी निवेश को बढ़ावा देने में भी योगदान देगा।

मैं हमारे सम्मानित निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों से आग्रह करता हूं कि वे इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बनें। आइए, हम मिलकर मध्यप्रदेश को वैश्विक पर्यटन की अग्रणी राजधानी बनाएं, जहां विरासत और नवाचार का संगम हो, जहां आध्यात्मिकता आधुनिकता से मिले और जहां निवेश विकास का माध्यम बने। हम सभी मिलकर मध्यप्रदेश को विश्व पर्यटन केंद्र बनाएंगे।

शुभकामनाएं।

(डॉ. मोहन यादव)

6, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462 002

धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व विभाग
मध्यप्रदेश शासन

सन्देश

मध्य प्रदेश को एक संपूर्ण पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाले गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए, राज्य सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश मित्र "पर्यटन नीति – 2025" लागू की गई है।

पर्यटन नीति में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशक सहायता एवं Ease of doing business की अवधारणा को शामिल किया गया है | पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये single window system के माध्यम से समस्त अनुमतियाँ समय सीमा में प्रदान की जाएँगी |

निवेशकों को भूमि एवं हेरिटेज परिसंपत्ति 90 साल की लीज पर पारदर्शी प्रक्रिया से उपलब्ध करायी जाएगी है । भूमि एवं हेरिटेज परिसंपत्तियों के आरक्षित मूल्य निश्चित (Fixed) किया गया है। भूमि को मोर्टगेज रखने की अनुमति तथा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई है।

पर्यटन परियोजनाओं पर किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 15% से 30% अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा । दूरस्थ एवं नवीन क्षेत्रों में परियोजना स्थापित करने पर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को तथा इलेक्ट्रिक क्रूज को प्रोत्साहित करने हेतु मान्य परियोजना व्यय पर 5% का अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जायेगा। स्टार्टअप उद्धमियों को भी निविदाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा |

अब, निवेश अनुकूल नीतियों और एक प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र के साथ मध्य प्रदेश में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनने की क्षमता है।

आइए, हम सब मिलकर इसे विश्व पर्यटन का केंद्र बनाएं।

शुभकामनायें !

(धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी)

India, the fastest growing large economy in the world, has embarked upon a journey to become Atmanirbhar and Viksit Bharat. Madhya Pradesh, one of the fastest growing States, has become the preferred destination for investment. The State offers "infinite possibilities" powered by abundant resources, state of the art infrastructure, an integrated holistic approach and forward-thinking leadership. These coupled with central location, excellent industrial labour relations, all assimilating culture position Madhya Pradesh as a key driver of comprehensive economic growth.

The State has formulated 18 new policies after thorough collaborative consultation with the stakeholders. While these policies provide financial incentives at par with the best provided by any other State, yet the focus is to provide seamless investment climate, exemplary Ease of Doing Business and reduction of compliance burden. State has already put in place mechanisms to streamline approvals, with faceless interface and time-bound clearances. Madhya Pradesh initiated the concept of the Public Service Delivery Guarantee Act and is committed to ensure that all approvals are notified under this Act. Providing plug and play infrastructure for industries is another important corner stone of the policies.

Madhya Pradesh Tourism Policy 2025, aims to mark the state as one of the most preferred tourism destination on the Global map. The policy promotes balanced, sustainable and integrated development to showcase the unparalleled rich and varied tourism potential. The state has the distinction of being the "Tiger State", highest number of National Parks and Biosphere Reserves in the country and the Only "Cheetah State" in whole of the subcontinent. The state is also blessed with Religious sites like two Jyotirlingas (Mahakaleshwar and Omkareshwar), three Shaktipeeths, abodes of Lord Ram like Chitakoot & Orchha, a world renowned Buddhist religious site at Sanchi. Holy Narmada flows through the heart of the state making picturesque Bhedaghat and serene islands. The state also has highest number of UNESCO World Heritage Sites in any state.

The policy aims to create world class tourism infrastructure with a variety of experiences on the offering for the tourists. The main thrust of the policy is to create an enabling environment for the investors through path breaking EoDB initiatives like bringing down the number of permissions to start a hotel facility from 30 to only 10. The policy framework covers 16 kinds of tourism projects with attractive financial incentives. The state is opening its doors for investment in cruise tourism, glamping, ropeways, museums, golf courses, hotels and resorts etc. through attractive Public Private Partnership models. All this and much more is on the offer through a dedicated investment cell in MP Tourism Board which is committed to hand hold investors in their journey right from planning till execution and beyond. I am sure if you come here as "Investor" you will remain here forever as our "Friend".

Hallmark of the Madhya Pradesh has been consistent, stable but yet nimble policy frame work coupled with pro-active and transparent governance for sustained growth. Opportunity like never before beckons all prospective investors to come and create lasting partnership for their own prosperity and growth of Madhya Pradesh. We welcome you to come and join the growth story of Viksit Madhya Pradesh.

(Anurag Jain)
Chief Secretary
Madhya Pradesh

(मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ TD/2/0002/2025/तैंतीस दिनांक 18/02/2025 द्वारा जारी)

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृ.क्र.
1	दृष्टि वक्तव्य	01
2	सिद्धांत	01
3	रणनीति	01
4	मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड /मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	03
5	पर्यटन परियोजनायें	04
6	पर्यटन परियोजनाओं हेतु अनुदान	05
7	वीक एण्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना	12
8	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट	13
9	निजी निवेश के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमियों/ हेरिटेज परिसंपत्तियों का आवंटन	13
10	ईको तथा साहसिक पर्यटन	15
11	फिल्म टूरिज्म	16
12	राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद/जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की स्थापना	17
13	जल पर्यटन	17
14	सम्पोषणीय पर्यटन	18
15	युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी/ कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण	18
16	निवेशक सहायता	19
17	Ease of doing Business	19
18	मार्ग सुविधा केन्द्रों का विकास	19
19	पर्यटन को उद्योग के समान सुविधाएं	20
20	समग्र पर्यटन विकास हेतु विशेष प्रयास	20
21	पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	21
22	निरसन	22

पर्यटन नीति - 2025

1. दृष्टि वक्तव्य (Vision Statement) -

''संतुलित एवं समेकित पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो, रोजगार के अवसरों का सृजन हो तथा मध्यप्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बन सके'' ।

2. सिद्धांत -

नीति के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही बिन्दु (Points of Action) मुख्यतः निम्न सिद्धांतों (Principles) पर आधारित हैं -

2.1 ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना, जिससे शासन द्वारा निर्धारित दिशा में निजी निवेश प्रोत्साहित हो।

2.2 समेकित पर्यटन (sustainable tourism) के लिये प्रभावी नियामक प्रक्रिया की स्थापना हो ।

2.3 पर्यटक स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, संरचना तथा सफाई के लिये सभी उपाय किये जायें।

2.4 धरोहरों का संरक्षण एवं पर्यटन में उपयोग किया जाये ।

2.5 ईको पर्यटन (Eco Tourism) आम-जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का कारक बने।

2.6 शासकीय विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, समुदाय तथा पर्यटन उद्योग के हितधारी पक्षों के मध्य समन्वित सक्रिय भागीदारी स्थापित हो।

2.7 पर्यटन क्षेत्र में पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप पर आधारित पर्यटक परियोजनाओं का समुचित विकास हो ।

2.8 **नीति प्रभावशीलता अवधि-** संशोधन उपरांत नीति की प्रभावशीलता नीति जारी होने के दिनांक से प्रथमतः पॉच वर्ष की अवधि तक रहेगी तथा इस अवधि में प्रारंभ/स्थापित (उत्पादन प्रारंभ/विस्तार) पर्यटन परियोजनाओं को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभ/ छूट/ रियायतें प्राप्त करने की पात्रता होगी । यथा आवश्यकता प्रभावशीलता में शासन द्वारा आवश्यक वृद्धि की जा सकेगी ।

3. रणनीति -

उपर्युक्त सिध्दांतों तथा पर्यटन दृष्टि-वक्तव्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये रणनीति (Strategy) निम्नानुसार होगी -

3.1 निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये स्पष्ट, पारदर्शी तथा मानक प्रक्रिया को स्थापित किया जायेगा ।

3.2 गन्तव्य के विपणन के लिये अपेक्षित अनुसंधान तथा डाटा-बेस तैयार किया जायेगा ।

3.3 पर्यटन के क्षेत्र में प्रमाणिक सांख्यिकीय डाटा-बेस तैयार करने तथा पर्यटकों से फीडबैक प्राप्त कर व्यवस्थागत सुधार की दृष्टि से युक्तियुक्त प्रणाली विकसित की जायेगी ।

3.4 अधोसंरचना यथा सड़क, पेयजल, ऊर्जा, स्वच्छता, परिवहन तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का निरंतर संधारण तथा प्रोन्नयन किया जायेगा ।

3.5 स्थानीय निकायों को पर्यटन के प्रति संवेदशील बनाकर उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी ।

3.6 मेले, स्थानीय व्यंजन/खानपान, संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य, वेशभूषा, उत्पाद, कला, हस्तकला तथा विरासत के प्रदर्शन एवं मार्केटिंग के लिये ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जायेगा । इन गतिविधियों के लिए पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों को प्रेरित किया जाएगा ।

3.7 ईको पर्यटन के गन्तव्यों में प्राकृतिक संसाधनों एवं सौन्दर्य की सुरक्षा तथा संरक्षण का सर्वोपरि ध्यान रखा जायेगा।

3.8 आध्यात्मिक पर्यटन के लिये चिन्हित स्थानों के विकास की समग्र योजना तैयार की जायेगी ।

3.9 वृहद जलाशयों पर पर्यटन सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जायेगा।

3.10 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के विभिन्न शहरों को सड़क मार्ग (बस सेवा) तथा वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रभावी उपाय किये जायेंगे एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.11 स्थानीय प्रशासन के सहयोग तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण से साहसिक पर्यटन के लिये आवश्यक व्यवस्थायें स्थापित की जायेंगी ।

3.12 पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों में नियोजित मानव संसाधन का ऐसा प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा ताकि प्रदेश की पर्यटन अनुकूल (Tourism friendly) छवि बन सके एवं युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल सकें।

3.13 निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त स्थल चयन कर लैण्ड बैंक को (Land Bank) निरंतर बढ़ाया जायेगा।

3.14 प्रदेश में पर्यटकों को पर्याप्त एव स्तरीय आवास सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य से स्टैण्डर्ड (Standard) एवं डीलक्स (Deluxe) श्रेणी के होटलों की निजी निवेश से स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

3.15 शासन के अन्य सुसंगत विभागों की कार्य योजना में "पर्यटन योजना" को सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा ।

3.16 निजी निवेश से हेरिटेज होटल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये अनुदान/ रियायतें दी जायेंगी ।

3.17 MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में निजी निवेश से कन्वेंशन सेंटर स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.18 प्रदेश में होटल रिसॉर्ट सहित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुदान/ रियायतें उपलब्ध करायी जायेंगी ।

3.19 विशेष महत्व के एवं उपयुक्त नवीन पर्यटन गन्तव्यों का विकास किया जायेगा तथा दूरस्थ एवं दुर्गम स्थलों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु विशेष छूट एवं सुविधायें दी जायेंगी ।

3.20 मेडिकल टूरिज्म, डेस्टीनेशन वेडिंग टूरिज्म एवं ग्रामीण /कृषि /ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

3.21 पर्यटन विभाग के दूरस्थ लैंड बैंकों एवं अधोसंरचनाविहीन भूमियों, वाटर बॉडीज एवं हेरिटेज परिसम्पत्तियों पर मूलभूत अधोसंरचनाओं का विकास किया जायेगा ।

3.22 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को सिंगल विंडो एजेंसी बनाया जायेगा जो निवेशकों को अनुमतियां/अनापत्ति आदि प्रदान कराने/ नवीनीकरण कराने का कार्य करेगा । निवेशकों को उपरोक्तानुसार अनुमति/अनापत्ति दिलाने/नवीनीकरण कराने हेतु व्यक्तिश: अनुसरण (Hand holding) प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

3.23 पर्यटन परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये अन्य विभागों के समन्वय से Ease of doing business की अवधारणा को अमल में लाने का प्रयास किया जायेगा ।

3.24 हेरिटेज पर्यटन परियोजनाओं का प्रमाणीकरण पर्यटन विभाग द्वारा करने के संबंध में नियम एवं प्रक्रिया बनायी जायेगी तथा इस प्रमाणीकरण के आधार पर हेरिटेज होटल/नीति की कंडिका 6 में वर्णित पर्यटन परियोजनाओं को नीति में प्रावधित छूट/सुविधायें प्रदाय की जायेंगी ।

3.25 रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के सृजन एवं समग्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ''ग्राम स्टे'', ''फार्म स्टे'' एवं ''बेड एण्ड ब्रेकफास्ट'' इकाईयों की स्थापना को नीति बनाकर प्रोत्साहित किया जाएगा । पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों तथा पंजीकृत स्व-सहायता समूहों को ग्राम स्टे स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

3.26 पर्यटक स्थलों को नि:शक्तजनों हेतु भ्रमण सुगम बनाया जायेगा।

3.27 होटल/रिसॉर्ट/वृहद पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना में बड़े ब्रांड्स को प्रोत्साहित करने के लिए सर्व संबंधितों (Stakeholders) से परामर्श कर पृथक नीति बनाई जाएगी।

4. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड /मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम -

प्रदेश में पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिये मैदानी स्तर पर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड/ मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड/ निगम की भूमिका निम्नानुसार होगी -

4.1 बोर्ड, पर्यटन सेवायें प्रदान करते हुये संपूर्ण प्रदेश में निजी निवेश से पर्यटन सेवाओं की स्थापना, विस्तार एवं विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा ।

4.2 निगम, यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों को संचालन हेतु प्रबंधकीय अनुबंध अथवा दीर्घ अवधि की लीज पर निजी क्षेत्र को सौंप सकेगा ।

4.3 पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारियों से संपर्क एवं समन्वय रखते हुये पर्यटन संवर्धन, प्रबंधन एवं संचालन संबंधी समस्या समाधान हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे ।

4.4 पर्यटन संभावित अविकसित नवीन क्षेत्रों में निवेश कर पर्यटन परियोजनाएं स्थापित की जायेगी तथा निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त कर निवेशकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

4.5 निगम, यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों का विस्तार करेगा एवं प्राप्त लाभ से नवीन क्षेत्रों का विकास करेगा ।

4.6 प्रदेश में सत्कार प्रशिक्षण, फूड क्राफ्ट, पर्यटन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों यथा मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड ट्रेनिंग, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी आदि का यथा आवश्यक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ।

4.7 भारत शासन, राज्य शासन एवं वित्तीय संस्थाओं से पर्यटन परियोजनाओं के लिये ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने हेतु समस्त कार्यवाही करेगा ।

4.8 पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने, इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन निवेशकों को नीति अनुसार अनुदान एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पर्यटन परियोनाओं के आकल्पन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिये विभाग द्वारा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में एक पृथक प्रभाग "निवेश संवर्धन एवं योजना प्रभाग" (Investment Promotion and Planning Division) का गठन किया जायेगा। इस प्रभाग हेतु विधिवत सेटअप का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा । प्रभाग में सेटअप अनुसार आवश्यक मानव संसाधन बोर्ड द्वारा पदस्थापित किये जायेंगे। इस प्रभाग को कार्यशील रखने के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन शासन द्वारा बोर्ड को पृथक से उपलब्ध करायें जायेंगे ।

5. पर्यटन परियोजनायें -

इस नीति के अंतर्गत विभिन्न सुविधायें/छूट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को पर्यटन परियोजना माना जायेगा। परियोजनाओं की परिभाषा, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अथवा पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

5.1 होटल (स्टार, डीलक्स एवं स्टैण्डर्ड श्रेणी)
5.2 हेल्थ फार्मस्/ रिसॉर्ट/हेल्थ एंड वेलनेस रिसॉर्टस्
5.3 रिसॉर्ट, केम्पिंग साइट एवं स्थायी टेंटिंग इकाईयां
5.4 मोटल एवं वेसाइड एमेनिटीज
5.5 हेरिटेज होटल
5.6 कन्वेंशन सेन्टर (MICE)
5.7 म्यूजियम/ एक्वेरियम/ थीम पार्कस्
5.8 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे इकाई
5.9 गोल्फ कोर्स
5.10 रोप-वे (Ropeway)
5.11 वाटर पार्क और वाटर स्पोर्टस
5.12 एम्यूजमेंट पार्क
5.13 केरेवॉन टूरिज्म
5.14 क्रूज टूरिज्म
5.15 हॉउस बोट
5.16 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना
5.17 एडवेन्चर स्पोर्टस्
5.18 साउण्ड एण्ड लाइट शो/ लेजर शो

5.19 सी-प्लेन
5.20 एमफीबियन पर्यटन वाहन
5.21 एयरो स्पोर्टस एवं एयरो स्पोर्टस ट्रेनिंग सेंटर/एकेडमी
5.22 हेरिटेज कैफेटेरिया/ मोटल
5.23 वाईल्ड लाईफ रिसॉर्टस
5.24 ग्राम स्टे/ फॉर्म स्टे
5.25 अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियां जिन्हें केंद्र/राज्य शासन का पर्यटन विभाग अपनी नीति अंतर्गत अधिसूचित करे ।

6. पर्यटन परियोजनाओं हेतु अनुदान -

इस पर्यटन नीति की प्रभावशीलता अवधि में स्थापित होकर प्रारंभ होने वाली पात्र पर्यटन परियोजनाओं को उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजीगत व्यय पर निम्नानुसार श्रेणीवार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी :-

क्र	अनुदान योजना	न्यूनतम पूँजीगत व्यय, जो विभाग द्वारा मान्य किया गया है (रुपये लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)	अन्य शर्तें
6.1	निजी स्वामित्व के हेरिटेज होटलों हेतु पूंजीगत अनुदान	300 लाख	15 प्रतिशत	200 लाख	
6.2	पर्यटन विभाग द्वारा लीज पर दी गई हेरिटेज सम्पत्तियों पर हेरिटेज होटल स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	1000 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	
6.3	डीलक्स/ थ्री स्टार अथवा उच्च श्रेणी के नवीन होटल एवं रिसॉर्ट की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	1000 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	किराये पर देने योग्य एयरकंडिशंड कक्षों की न्यूनतम संख्या 50 होना आवश्यक है।
6.4	स्टेण्डर्ड श्रेणी के नवीन होटल/मिनी रिसॉर्ट की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	200 लाख	15 प्रतिशत	50 लाख	किराये पर देने योग्य कक्षों की न्यूनतम संख्या होटल हेतु 25 एवं मिनी रिसॉर्ट हेतु 10 होना आवश्यक है।
6.5	नवीन रिसॉर्ट एवं वेलनेस सेंटर (आयुर्वेद योग, नेचरोपेथी चिकित्सा सुविधायुक्त रिसॉर्ट) की	500 लाख	15 प्रतिशत	200 लाख	भारत/ राज्य शासन द्वारा मान्य परिभाषा एवं मापदंडों/ मानकों के अनुसार इकाई की

	स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान				स्थापना आवश्यक है।
6.6	पूर्व स्थापित स्टार/ डीलक्स/ स्टेण्डर्ड श्रेणी के होटल/ रिसॉर्ट/ हेरिटेज होटल के विस्तार पर पूंजीगत अनुदान I	100 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	अनुदान हेतु पूर्व स्थापित इकाई में ऐसा विस्तार पात्र होगा, जिसमें आवासीय क्षमता पूर्वक्षमता से 50 प्रतिशत या अधिक बढ़ायी गयी हो।
6.7	MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions) अंतर्गत 500 या अधिक सीट क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर/कन्वेंशन सेंटर सह होटल की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	2000 लाख	15 प्रतिशत	1000 लाख	यह आवश्यक होगा कि परियोजना की स्थापना कन्वेंशन सेंटर हेतु भारत शासन पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों/ मानकों के अनुरूप की गयी हो। अकेले मुख्य कन्वेंशन हॉल की सीट क्षमता 500 या अधिक होना आवश्यक है।
6.8	फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना/ म्यूजियम, एक्वेरियम, थीम पार्क, स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	100 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	
6.9	एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, वॉटर स्पोर्ट्स, क्रूज/हाउस बोट, नौवहन अधोसंरचना, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, लाईट एंड साउंड शो/लेजर शो, कैम्पिंग गतिविधियों हेतु उपकरणों/टेंट की स्थापना/उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्थायी सुविधाओं एवं अधोसंरचनाओं का निर्माण	05 लाख	15 प्रतिशत	300 लाख	स्थाई सुविधा/ अधोसंरचना से आशय, प्लेटफॉर्म/ जेट्टी/ उपकरण/ पार्किंग साइट/ बिजली सुविधा/ जल प्रदाय/ टॉयलेट आदि जन-सुविधाओं से है।
6.10	ग्रीन फील्ड/फ्रेंचाइजी माडल पर मार्ग सुविधा केन्द्र (डब्ल्यू.एस.ए.) की स्थापना जिसमें स्थायी पूंजीगत व्यय	25 लाख	15 प्रतिशत	50 लाख	विभाग की मार्ग सुविधा केन्द्र नीति 2016 के अनुरूप निर्धारित स्थानों/ प्रबंध संचालक एम.पी

	रूपये 25 लाख से अधिक हो।				टूरिज्म बोर्ड द्वारा मान्य स्थानों पर स्थापित एवं संचालित इकाईयों को पात्रता ।
6.11	पर्यटन विभाग से लीज पर ली गयी भूमि/ हेरिटेज परिसंपत्ति पर मूल अधोसंरचना यथा विद्युत प्रदाय, जलप्रदाय एवं सड़क सम्पर्क, सीवेज एवं जल मल निकासी अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु पूंजीगत अनुदान	50 लाख	25 प्रतिशत	300 लाख	
6.12	दुर्गम पर्यटन स्थलों/ वन पर्यटन क्षेत्रों में परिवहन हेतु रोप-वे अधोसंरचना का निर्माण	100 लाख	40 प्रतिशत	500 लाख	
6.13	सी-प्लेन, एमफीबियन पर्यटक वाहन एवं एयरो स्पोर्टस व एयरो स्पोर्टस ट्रेनिंग सेन्टर/एकेडमी की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	100 लाख	25 प्रतिशत	1000 लाख	एयरो स्पोर्टस एवं एयरो स्पोर्टस ट्रेनिंग सेन्टर/ एकेडमी की स्थापना उपरान्त अनुदान, गतिविधि के एक वर्ष तक संचालन के उपरान्त दिया जाएगा । सी-प्लेन एवं एमफीबियन पर्यटक वाहन को स्वीकृत अनुदान राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा - • गतिविधि प्रारंभ होने पर अनुदान राशि का 40 प्रतिशत, तदुपरांत संचालन के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में स्वीकृत अनुदान राशि का 20% प्रत्येक वर्ष

उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित अन्य शर्तें एवं कंडिका क्रमांक 6.1 में हेरिटेज परिसंपति प्रमाणीकरण गाइडलाइन, प्रक्रिया एवं शर्तों का निर्धारण तथा समय-समय पर इनमें आवश्यक संशोधन हेतु मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।

6.14 प्रदेश के लोगों को रोजगार -

प्रदेश में स्थापित होने वाली नवीन डीलक्स एवं स्टैण्डर्ड श्रेणी की होटल्स को पूंजीगत अनुदान पात्रता प्राप्त करने के लिए प्रदेश के लोगों को होटल में प्रदाय कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार देना आवश्यक होगा ।

6.15 वाईल्ड लाइफ रिसॉर्ट हेतु विशेष अनुदान -

प्रदेश के अधिसूचित नेशनल पार्क, टाईगर रिजर्व एवं अभ्यारण्य की सीमा में स्थापित होने वाले वाईल्ड लाइफ रिसॉर्टस को पूंजीगत अनुदान की पात्रता के शर्तों के निर्धारण हेतु मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।

वाइल्ड लाइफ रिसॉर्टस् हेतु विशेष अनुदान

वन क्षेत्र की श्रेणी	वन क्षेत्र का नाम	न्यूनतम पूँजीगत व्यय, जो विभाग द्वारा मान्य किया गया है	न्यूनतम कक्षों की संख्या	पूंजीगत अनुदान	पूंजीगत अनुदान की अधिकतम सीमा
अ	कान्हा, बांधवगढ़, पेंच टाईगर रिजर्व, रातापानी टाईगर रिजर्व एवं इनकी सीमाओं से लगे हुए नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य ।	रू. 5.00 करोड़	10	20%	रू. 1.00 करोड़
ब	पन्ना एवं सतपुड़ा टाईगर रिजर्व एवं इनकी सीमाओं से लगे हुए नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य	रू. 3.00 करोड़	07	20%	रू. 2.00 करोड़
स	संजय डुबरी टाईगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, गांधीसागर व् अन्य संरक्षित क्षेत्र और इससे लगे हुए नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य तथा उपरोक्त ''अ'' एवं ''ब'' श्रेणी में आने वाले वन क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अन्य समस्त नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य। उपरोक्त 'अ' एवं 'ब' श्रेणी में वर्णित वन क्षेत्रों के नये प्रवेश मार्ग (सफारी गेटस्) को 'स' श्रेणी में मान्य किया जाएगा।	रू. 1.00 करोड़	05	20%	रू. 3.00 करोड़

6.16 दूरस्थ/दुर्गम नवीन क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर अतिरिक्त अनुदान

प्रदेश में दूरस्थ/दुर्गम नवीन स्थलों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर 5% अतिरिक्त लागत पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा। इन क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं में न्यूनतम निवेश की पर्यटन नीति में निर्धारित सीमा से 50% कम न्यूनतम पूंजी निवेश मान्य किया जायेगा तथा होटल/रिसॉर्टस के प्रकरणों में आवास कक्षों की संख्या भी न्यूनतम से आधी मान्य होगी। ऐसे क्षेत्रों में स्थापित पर्यटन परियोजनाओं को अनुदान के प्रकरण में अनुदान हेतु नियत अधिकतम सीमा का बंधन नहीं होगा ।

उपरोक्त अतिरिक्त अनुदान सुविधाओं की पात्रता शर्तों एवं प्रदेश में दूरस्थ/दुर्गम नवीन स्थलों को परिभाषित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।

6.17 विद्यमान होटल के जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण कर अपग्रेडेशन हेतु पूंजीगत अनुदान –

अ. वर्तमान स्टेंडर्ड श्रेणी के होटल एवं मिनी रिसॉर्ट के जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण एवं अपग्रेडेशन कर स्थापित किये जाने वाले डीलक्स होटल (न्यूनतम कुल 50 कमरे), रिसॉर्ट (न्यूनतम कुल 20 कमरे) को नवीन इकाई को नीति में दी गई पात्रता अनुसार संबंधित श्रेणी में अनुदान की पात्रता होगी।
अनुदान पात्रता हेतु न्यूनतम रू. 10.00 करोड़ का नवीन पूंजी निवेश आवश्यक होगा ।

ब. विद्यमान डीलक्स श्रेणी के होटल एवं रिसॉर्ट के जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण एवं अपग्रेडेशन कर स्थापित किए जाने वाले 4 स्टार अथवा इससे अधिक उच्च श्रेणी के होटल (न्यूनतम कुल 75 कक्ष) अथवा रिसॉर्ट को (न्यूनतम कुल 25 कक्ष) नीति में संबंधित श्रेणी की नवीन इकाई को दी पात्रता अनुसार अनुदान पात्रता होगी । इस हेतु न्यूनतम रू. 25.00 करोड़ नवीन पूंजी निवेश आवश्यक होगा ।

स. ऐसी इकाईयों को उसी पूंजी निवेश पर अनुदान पात्रता होगी जो इस नीति के लागू होने के दिनांक के उपरांत किया गया हो ।

6.18 अनुदान प्राप्त इकाई का निरंतर संचालन -

(i) पर्यटन नीति के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान व अन्य कोई अनुदान प्राप्त इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह ऐसा अनुदान प्राप्त करने के दिनांक से 03 वर्षों के लिये निरंतर संचालित रखी जाये । ऐसी इकाईयों को अनुदान प्राप्त करने के उपरांत यह आवश्यक होगा कि वे प्रति वर्ष 15 अप्रैल तक अपने कार्यरत रहने के प्रमाण में स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (Self-declaration) प्रस्तुत करें ।
उपरोक्त अनुसार पालन न होने पर इकाई को निम्नानुसार अनुदान राशि विभाग को लौटानी होगी –

अ/ अनुदान प्राप्ति के एक वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 80% (अनुदान) राशि ।

ब/ अनुदान प्राप्ति के 02 वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 60% (अनुदान) राशि ।

स/ अनुदान प्राप्ति के 03 वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 50% (अनुदान) राशि ।

(ii) पूंजीगत अनुदान हेतु पात्र इकाई को इकाई प्रारंभ करने के दिनांक से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।

(iii) पूंजीगत अनुदान हेतु इकाई प्रारंभ होने के अधिकतम 03 वर्ष पूर्व किया निवेश ही अनुदान गणना हेतु मान्य किया जायेगा ।

6.19 वृहद/मेगा एवं अल्ट्रा मेगा पर्यटन परियोजनाओं को निवेश प्रोत्साहन सहायता –

वृहद/मेगा एवं अल्ट्रा मेगा पर्यटन परियोजनाओं को उनकी श्रेणी अनुसार निम्नानुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी :-

परियोजना श्रेणी	न्यूनतम पूँजीगत व्यय, जो विभाग द्वारा मान्य किया गया है	परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम (प्रदेश के लोगों को) रोजगार	इकाई द्वारा किये स्थाई पूंजी निवेश पर निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत	निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की अधिकतम सीमा	वर्षवार निवेश सहायता राशि भुगतान का प्रतिशत			
					प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
वृहद	रू. 10 करोड़ अथवा उससे अधिक	50	30%	15 करोड़	10%	10%	5%	5%
मेगा	रू. 50 करोड़ अथवा उससे अधिक	100	30%	30 करोड़	10%	10%	5%	5%
अल्ट्रा मेगा	रू. 100 करोड़ अथवा उससे अधिक	200	30%	90 करोड़	10%	10%	5%	5%

हेरिटेज होटल स्थापना हेतु न्यूनतम निवेश की सीमा उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित न्यूनतम निवेश का 50% होगी तथा प्रदेश के लोगों को रोजगार की न्यूनतम संख्या उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित संख्या का 50% होगी ।

निवेश प्रोत्साहन सहायता प्राप्तकर्ता इकाई को किसी भी श्रेणी में नीति में प्रावधित लागत पूंजी अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

6.20 उत्तरदायी पर्यटन हेतु अनुदान –

(i) पर्यटन परियोजनाओं को ईको टूरिज्म सोसायटी ऑफ इंडिया से ईको फ्रेंडली इकाई का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर किये गये व्यय की 100%, अधिकतम रूपये 01 लाख तक प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी ।

(ii) नवीन/विद्धमान पर्यटन परियोजनाओं द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मापदंडों के अनुसार प्रदूषण उपचार संयंत्र की स्थापना पर किए पूंजी निवेश पर 25% की दर से अधिकतम रूपये 50 लाख तक के अनुदान पात्रता होगी, बशर्ते ऐसे संयंत्र की स्थापना लागत रूपये 10 लाख से अधिक हो ।

6.21 अनुसूचित जनजाति / जाति के उद्धमियों को विशेष अनुदान –

अजजा/अजा श्रेणी के उद्धमियों द्वारा उनके शत प्रतिशत स्वामित्व में स्थापित की गई पर्यटन परियोजनाओं को 5% अतिरिक्त लागत पूंजी अनुदान की पात्रता होगी ।

6.22 हेरिटेज/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को चरणबद्ध छूट एवं अनुदान सुविधा-

हेरिटेज/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को पूर्व अनुमोदित क्रियान्वयन योजना अनुसार गतिविधियां प्रारंभ करने पर चरणवार निवेश पर अनुदान/छूट प्राप्त करने की सुविधा होगी । चरणबद्ध अनुदान/छूट प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रथम चरण अधिकतम 02 वर्ष में, द्वितीय चरण अधिकतम 03 वर्ष में एवं अंतिम चरण

अधिकतम 05 वर्ष में पूर्ण कर लिया गया हो । इकाई को पूरी परियोजना हेतु निर्धारित पात्रता की सीमा तक ही यह लाभ प्राप्त होगा ।

इस श्रेणी के अंतर्गत यदि इकाई सम्पूर्ण परियोजना का क्रियान्वयन एवं संचालन एक मुश्त करती है तो पूँजीगत अनुदान हेतु इकाई प्रारंभ होने के अधिकतम 05 वर्ष पूर्व किया गया पूँजीगत व्यय (जो विभाग द्वारा मान्य किया गया है) ही अनुदान गणना हेतु मान्य किया जायेगा ।

6.23 विभिन्न अनुदान सुविधाओं के लिए वही पूंजीगत निवेश मान्य होगा जो पूंजी अनुदान हेतु अंतिम रूप से मान्य किया गया हो । तदनुसार परियोजना के अनुदान की पात्रता एवं परियोजना श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा ।

6.24 यदि इकाई एकाधिक श्रेणियों में छूट/अनुदान की पात्रता रखती है तो उसे कौन-कौन सी श्रेणियों में पात्रता लेनी है, का विकल्प चयन करने की स्वतंत्रता होगी । दो समान छूट/अनुदान सुविधाओं में से एक का ही चयन किया जा सकेगा । उदाहरणार्थ यदि इकाई को पूंजीगत अनुदान की पात्रता सामान्य इकाईयों की पात्रता एवं विशेष इकाईयों की पात्रता दोनों के अंतर्गत है तो चयन अनुसार एक ही श्रेणी की पात्रता होगी।

6.25

(i) पर्यटन इकाईयों को राष्ट्र स्तरीय मार्केटिंग आयोजनों में भाग लेने पर स्थल/स्टॉल स्थापना व्यय पर 50% सहायता राशि जो अधिकतम रूपये 01 लाख तक होगी, की पात्रता होगी ।

(ii) पर्यटन इकाईयों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग आयोजनों में भाग लेने पर स्थल/स्टॉल स्थापना व्यय एवं 01 व्यक्ति हेतु इकनोमी श्रेणी के हवाई यात्रा व्यय पर 50% सहायता राशि जो अधिकतम रूपये 02 लाख तक, की पात्रता होगी ।

(iii) किसी इकाई को प्रतिवर्ष उपरोक्त अधिकतम चार आयोजनों में भाग लेने पर सहायता की पात्रता होगी ।

(iv) कल्चरल/ फूड /पारंपरिक वस्त्र / हस्तशिल्प गतिविधियों में संलग्न पंजीकृत/ प्रमाणित स्व-सहायता समूहों/मंडलों एवं पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने पर आये व्यय (स्थल/स्टॉल किराया एवं 02 व्यक्तियों के एसी-2 श्रेणी का रेल किराया /01 व्यक्ति का इकनोमी श्रेणी का हवाई किराया) पर 100% सहायता राशि अधिकतम रूपये 01 लाख तक, की पात्रता होगी ।

6.26 हॉट एयर बैलून संचालन हेतु विशेष अनुदान -

एडवेंचर टूरिज्म हेतु हॉट एयर बैलून गतिविधि संचालन पर भूमि मूल्य छोड़कर शेष परियोजना व्यय पर 50% पूंजीगत अनुदान देय होगा । परियोजना स्थापना हेतु न्यूनतम रूपये 50 लाख का व्यय आवश्यक होगा । अनुदान राशि वर्षवार निम्नानुसार वितरित की जायेगी :-

- प्रथम वर्ष गतिविधि स्थापना पर – 15%
- द्वितीय वर्ष गतिविधि संचालन पर – 10%
- तृतीय वर्ष गतिविधि संचालन पर – 10%

- चतुर्थ वर्ष गतिविधि संचालन पर – 10%
- पंचम वर्ष गतिविधि संचालन पर – 05%

6.27 पर्यटन विभाग की निवर्तित भूमियों/परिसंपत्तियों पर पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु अनुदान पात्रता की प्रभावशीलता –

इस नीति की प्रभावशीलता अवधि में पर्यटन विभाग द्वारा निवेशकों को आवंटित भूमियों/परिसंपत्तियों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु इस नीति में प्रचलित प्रावधानों को पर्यटन नीति की प्रभावशीलता अवधि समाप्त होने के बाद भी नीति में प्रावधित अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी, बशर्ते निवेशक द्वारा भूमि का अधिपत्य प्राप्त कर निष्पादित लीज डीड की शर्तों के अनुसार तय समयावधि में परियोजना स्थापित कर ली गई हो ।

6.28 पर्यटन विभाग की विद्यमान परिसंपत्तियों के अतिरिक्त नवीन पर्यटन परियोजना स्थापना पर किये गये व्यय पर लागत पूंजी अनुदान –

निवेशक द्वारा पर्यटन निगम की लीज/प्रबंधकीय अनुबंध/लायसेंस पर दी गई इकाईयाँ/बोर्ड द्वारा लीज पर आवंटित भूमियों/ब्राउन/ग्रीन फील्ड मार्ग सुविधा केन्द्रों में उपलब्ध अतिक्ति भूमि पर नवीन पर्यटन परियोजना स्थापना पर यदि रूपये 1.00 करोड़ या अधिक का नया पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसी इकाई को नीति में वर्णित अनुदान पात्रता श्रेणी अनुसार नये निवेश पर पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी।

6.29 इलेक्ट्रिक क्रूज को प्रोत्साहित करने हेतु मान्य परियोजना व्यय पर 5% का अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान नीति के सुसंगत प्रावधानों के अध्यधीन देय होगा ।

6.30 गोल्फ टूरिज्म हेतु पर्यटन विभाग द्वारा आवंटित भूमि में से अधिकतम 10 प्रतिशत भूमि का व्यवसायिक उपयोग करने की अनुमति निवेशक को गुण दोष के आधार पर साधिकार समिति द्वारा दी जा सकेगी । व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित स्थल/अधोसंरचना को निवेशक द्वारा लीज अवधि की सीमा के अंतर्गत सब-लीज पर निवर्तित किया जा सकेगा । सब-लीज की शर्तें तय करने के लिए पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।

a) गोल्फ टूरिज्म को प्रोत्साहित करने हेतु नीति की कंडिका 6.19 अनुसार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी | नीति में उल्लेखित पर्यटन परियोजनाओं के अलावा किसी अन्य व्यवसायिक उपयोग पर किये जाने वाला व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होगा |

b) गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अंतर्गत पृथक से परियोजना तैयार कर निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा ।

7. वीक एण्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना -

प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों के पर्यटकों को प्रोत्साहित करने एवं 'वीक एण्ड टूरिज्म' को बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों के अपेक्षानुरूप पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन एवं वृद्धि हेतु जिला पर्यटन संवर्द्धन परिषद (DTPC) को संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे ।

8. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट-

8.1 निजी भूमि पर हेरिटेज पर्यटक परियोजनाओं की स्थापना के लिये प्रश्नाधीन हेरिटेज भवन के निर्मित क्षेत्रफल तथा उससे लगी अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि के मूल्य पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। यदि भवन के साथ एक हेक्टेयर से अधिक भूमि हो तो उस अतिरिक्त भू-भाग पर नियमानुसार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय होगा। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि होटल प्रारंभ होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा होटल स्वामी को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जावेगी ।

8.2 पर्यटन विभाग द्वारा जो शासकीय भूमि (लैंड-पार्सल, हेरिटेज प्रॉपर्टी के साथ की अनुषांगिक भूमि, मार्ग सुविधा केन्द्र की भूमि) एवं पर्यटन विभाग की संपत्तियाँ, पर्यटन परियोजनाओं के लिये लीज/विकास अनुबंध/ प्रबंधकीय अनुबंध/लाइसेंस आदि पर दिये जाने पर निष्पादित एवं पंजीकृत अनुबंधों पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय नहीं होगा ।

8.3 विद्यमान कंडिका क्र. 8.2 में दी गयी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा छूट उपलब्ध कराने की वर्तमान नीति में परिवर्तन की दशा में इसकी प्रतिपूर्ति निवेशक को विभाग द्वारा की जायेगी ।

9. निजी निवेश के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमियों/ हेरिटेज परिसंपत्तियों का आवंटन -

9.1 पर्यटन उद्देश्यों की पूर्ति एवं निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये पर्यटन विभाग को शासकीय भूमि/हेरिटेज परिसंपत्ति नि:शुल्क आवंटित कर अंतरित की जायेगी ।

9.2 उपरोक्त अंतरित भूमियों/ हेरिटेज परिसंपत्तियों के निवर्तन हेतु पर्यटन विभाग की ओर से मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा ।

9.3 चिन्हित शासकीय भूमियों/भूमि जिस पर परिसंपत्तियां निर्मित है एवं जो पर्यटन विभाग को हस्तांतरित है अथवा की जायेगी, को 90 अथवा 30 वर्ष की लीज पर देने, 5 से 30 वर्ष के लिए लाइसेंस पर देने अथवा विकास/प्रबंधकीय अनुबंध के माध्यम से विकसित करने के संबंध में अंतिम निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया जायेगा ।

9.4 निवर्तन हेतु नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत) क्षेत्रों में एवं प्लान एरिया में भूमि का आरक्षित मूल्य रूपये 10.00 लाख प्रति हेक्टेयर एवं उपरोक्त के अलावा अन्य क्षेत्रों में रूपये 5.00 लाख प्रति हेक्टेयर होगा ।

9.5 हेरिटेज महत्व के भवनों एवं उससे लगी आनुषांगिक भूमि के निवर्तन हेतु आरक्षित मूल्य रूपये 1.00 लाख होगा। निवर्तन हेतु ऐसे हेरिटेज भवनों एवं आनुषांगिक भूमि का चिन्हांकन एवं चयन इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा ।

9.6 नीति के अंतर्गत भूमियों एवं हेरिटेज परिसंपत्तियों का निवर्तन खुली निविदा पद्धति से किया जायेगा एवं आरक्षित मूल्य पर सर्वाधिक मूल्य के प्रस्ताव को आवंटन हेतु चुना जायेगा ।

9.7 उपरोक्तानुसार प्राप्त अधिकतम मूल्य की राशि एकमुश्त प्रीमियम के रूप में देय होगी तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष इस प्रीमियम राशि के एक प्रतिशत के बराबर राशि लीज रेंट के रूप मे देय होगी ।

9.8 लीज पर दी गई भूमियों से प्राप्त होने वाली निविदा राशि (प्रीमियम) एवं वार्षिक लीज रेंट की राशि, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा शासन से प्राप्त राशि के रूप मे पृथक मद "शासकीय भूमियों का निवर्तन एवं अधोसंरचना विकास" में रखी जायेगी। यह राशि भूमियों के सर्वे, हस्तांतरण, निविदा प्रक्रिया, विद्युत/सड़क/जल प्रदाय, ऐरिया प्लानिंग, ऐरिया डेवलपमेंट, परिसंपत्तियों की सुरक्षा व अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकास में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा व्यय की जा सकेगी। इस राशि के व्यय के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे ।

9.9 पर्यटन विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमियां/ भूमियां जिन पर परिसंपत्तियां (यथा हेरिटेज परिसंपत्ति आदि) का निजी निवेशकों को पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु निवर्तन, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जायेगा । नीति अनुसार निवर्तन की प्रक्रिया निर्धारण, नियम, पात्रता मूल्याङ्कन पत्र आदि प्रपत्रों के निर्धारण हेतु मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा |

9.10 एक हेक्टेयर तक की भूमियों एवं मार्ग सुविधा केन्द्रों की निविदा शर्तों को इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि नवीन उद्धमियों एवं प्रदेश की प्रचलित स्टार्टअप नीति के अंतर्गत स्टार्टअप उद्धमियों तथा आजीविका मिशन द्वारा प्रोत्साहित महिला स्व सहायता समूह, समूहों के संकुल स्तरीय संगठन, किसान उत्पादक कंपनी एवं महिला उद्यमियों/सामूहिक महिला उद्यमियों को निविदाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो।

9.11 पर्यटन विभाग द्वारा निजी निवेशकों को लीज पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु दी गई हेरिटेज परिसम्पत्तियों पर परियोजना स्थापना हेतु प्रथमत: 05 वर्ष की समयावधि दी जायेगी जिसे औचित्यपूर्ण कारणों से आगामी 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

9.12 अल्ट्रा मेगा परियोजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व/पर्यटन विभाग के लैंड बैंक में से प्रस्तावक द्वारा चिन्हित ग्रामीण क्षेत्र स्थित शासकीय भूमि निवेशक को उस भूमि से संलग्न/निकटस्थ क्षेत्र में असिंचित कृषि भूमि के लिये निर्धारित कलेक्टर गाइड लाइन के तत्समय प्रचलित रेट अथवा पर्यटन नीति में भूमि निविदा हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य जो भी अधिक हो पर 90 वर्ष की लीज पर 1% वार्षिक लीज रेंट पर आवंटित किया जा सकेगा । प्रत्येक 30 वर्ष के उपरांत लीज रेंट में 6 गुना वृद्धि की जायेगी । यदि प्रस्तावक द्वारा राजस्व विभाग की शासकीय भूमि के लैंड बैंक की भूमि चिन्हित की जाती है तो ऐसी भूमि प्रथमत: पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जायेगी । यह आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जायेगा । ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन पर्यटन नीति अंतर्गत गठित साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा ।

9.13 अ. मार्ग सुविधा केन्द्र को आवंटित भूमि सड़क निर्माण, अतिक्रमण या अन्य शासकीय निर्माण आदि के कारण कम हो जाती है तो ऐसी भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर समतुल्य मूल्य की भूमि का हस्तांतरण पर्यटन विभाग को कराया जाकर कम हुई भूमि के बदले प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड द्वारा अनुबंधी को सीधे आवंटित किया जायेगा ।

ब. मार्ग सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा उसे आवंटित भूमि से लगी शासकीय भूमि पर रूपये 1.00 करोड़ या उससे अधिक पूंजी लागत से पर्यटन परियोजना की स्थापना प्रस्तावित किया जाता है तो ऐसी शासकीय भूमि का पर्यटन विभाग को हस्तांतरण कराया जाकर अधिकतम एक हेक्टेयर तक भूमि तत्समय उस स्थल के प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन रेट पर मार्ग सुविधा केन्द्र संचालक को प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड द्वारा सीधे आवंटित किया जा सकेगा।

9.14 प्रदेश की शासकीय विभागों की परिसंपत्तियों में पर्यटन परियोजना की स्थापना -

नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले विभागों की आनुषांगिक भूमि सहित परिसंपत्तियों यथा रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस, डॉक बंगला, सर्किट हाऊस आदि में पर्यटन संभाव्यता की दृष्टि से पर्यटन परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

इन आनुषांगिक भूमि सहित परिसंपत्तियों को पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित विभाग से हस्तांतरित करायी जाकर निजी निवेशकों को पर्यटन परियोजना की संभाव्यता के आधार पर पर्यटन विभाग की संबंधित नीति एवं प्रक्रिया अनुसार आवंटित की जायेगी ।

पर्यटन विभाग को हस्तांतरित इन भूमि सहित परिसंपत्तियों में यदि वेलनेस/ थीमपार्क/होटल /रिसॉर्ट/एम्यूजमेंट पार्क आदि जैसी पर्यटन परियोजना स्थापना की संभाव्यता होती है तो भूमि सहित परिसंपत्ति के निवर्तन हेतु आरक्षित मूल्य, भूमि का तत्समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन रेट का 50 प्रतिशत एवं रजिस्टर्ड मूल्यांकनकर्ता व्यक्ति/संस्था द्वारा भवन के मूल्यांकन का शत-प्रतिशत दर, को जोड़कर निर्धारित होगा । उक्त परिसंपत्ति का निवर्तन मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग द्वारा जारी निवर्तन की प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा ।

10. ईको तथा साहसिक पर्यटन -

10.1 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित वन क्षेत्र को छोडकर संपूर्ण राज्य के वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा निर्धारित "म०प्र० वन (मनोरंजन एवं वन्य प्राणी अनुभव) नियम-2015'' के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों का संचालन किया जायेगा । इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं वन विभाग के संबंधित उपक्रमों द्वारा संयुक्त रूप से पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित कर समुचित प्रयास किए जाएँगे ।

वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के संचालन में समस्त प्रचलित एवं सुसंगत वन अधिनियमों/ नियमों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

10.2 कंडिका 10.1 में वर्णित अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य संभावित स्थानों पर भी ईको एडवेंचर पर्यटन से संबंधित गतिविधियों एवं उनका स्वरूप निर्धारण करने के लिये पर्यटन विभाग अधिकृत होगा। किसी भी स्थल पर संचालित होने वाली गतिविधियों का निर्धारण स्थानीय संभावनाओं (Potential)/ आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा । इसमें कैम्पिंग, ट्रेकिंग, एंगलिंग, जलक्रीड़ा, एलिफेन्ट सफारी, सायकल सफारी, राइडिंग ट्रेल, फोटो सफारी, केनोईंग सफारी, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, रॉक क्लाईबिंग/

माउण्टेनीयरिंग, पैरा-सेलिंग/पैरा ग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग आदि गतिविधियां शामिल की जा सकेंगी ।

10.3 ईको/साहसिक पर्यटन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये पर्यटन विभाग भूमि लीज पर अथवा लायसेन्स पर दे सकेगा ।

10.4 ईको/साहसिक पर्यटन हेतु भूमि लीज पर देने हेतु इस नीति की कंडिका 9 अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

10.5 यदि भूमि पर कोई व्यापक या स्थायी स्वरूप का निर्माण आवश्यक नहीं है तो ऐसी भूमि लायसेंस पर भी दी जा सकेगी ।

10.6 सामान्यतः लायसेंस पर दिये जाने के पूर्व भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जावेगी । परंतु जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां उसे भूमि का स्वामित्व धारण करने वाले विभाग की सहमति (ऐसी शर्तों के साथ, जो वह विभाग निर्धारित करे) प्राप्त कर लायसेंस दिया जा सकेगा ।

10.7 भूमि को लायसेंस पर दिये जाने के लिये लायसेंस की अवधि, शर्तें तथा फीस का निर्धारण, इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जाएगा । लायसेंस की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से कम तथा 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10.8 एक ही स्थान पर या एक से अधिक गतिविधियों के लिये विभिन्न आवेदकों को लायसेंस दिया जा सकेगा ।

10.9 ईको/साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लायसेंस देने की प्रक्रिया आदि हेतु पर्यटन विभाग विस्तृत दिशा निर्देश तय करेगा ।

10.10 ग्रामीण एवं कृषि पर्यटन को बेहतर अधोसंरचनात्मक सुविधायें विकसित कर बढ़ावा दिया जायेगा एवं सशक्त बनाया जायेगा ।

10.11 साहसिक पर्यटन/कैम्पिंग गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन के लिए पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध भूमि लाइसेंस पर प्राप्त करने की पात्रता पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को भी होगी ।

11. फिल्म टूरिज्म -

11.1 फिल्म निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिये विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन विभाग इन निर्माताओं को शासकीय विभागों से विधि मान्य अनुमतियां प्राप्त करने के लिये आवश्यक समन्वय करेगा। यह सेवा सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर (On Best Effort Basis) संबंधित निर्माता/ कम्पनी को दी जा सकती है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाहियां करने के लिये पर्यटन विभाग को अधिकृत करने संबंधी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जायेगा ।

11.2 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा ।

11.3 मध्यप्रदेश को फिल्म शूटिंग के आदर्श गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ।

11.4 प्रदेश में उपलब्ध फिल्म पर्यटन संभावनाओं के पूर्ण उपयोग एवं प्रदेश को फिल्म टूरिज्म हेतु पसंदीदा गन्तव्य बनाने के लिये पृथक से समग्र फिल्म टूरिज्म पालिसी तैयार कर क्रियान्वित की जायेगी । नीति में फिल्म शूटिंग आदि हेतु विभिन्न अनुमत्तियां देने, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने एवं जिला स्तर तक सहयोग प्रदान करने के लिये आवश्यक व्यवस्थायें की जायेगी । प्रदेश में फिल्म शूटिंग पर आये व्यय में छूट देने पर भी विचार किया जायेगा ।

12. राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद/जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की स्थापना -

12.1 राज्य स्तर पर राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद स्थापित की जायेगी। यह परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पर्यटन क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स के नामांकन से गठित होगी । परिषद का गठन, उसकी कार्य पद्धति तथा सदस्यता निर्धारित करने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

12.2 प्रदेश में निजी निवेशकों को आकर्षित करने तथा स्थानीय स्तर पर गंतव्य प्रबंधन में जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश के कई हिस्सों में स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अत: प्रत्येक जिला स्तर पर जिला पर्यटन संवर्द्धन परिषद (DTPC) का गठन किया जाएगा । इस परिषद के कार्यकलाप, अधिकार, संरचना आदि के संबंध में पर्यटन विभाग विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा ।

12.3 पर्यटक स्थलों एवं पर्यटन क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न शासकीय विभागों के लोगों/ स्थानीय लोगों/सर्विस प्रोवाइडर्स/ व्यवसायियों आदि को पर्यटक आचरण एवं व्यवहार के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार बनाने के लिये जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता आदि कार्यक्रम निरन्तर आयोजित किये जायेंगे ।

13. जल पर्यटन-

13.1 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले जल क्षेत्रों में पर्यटन सम्भाव्यता के समूचित उपयोग की दृष्टि से पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।

13.2 इन जल क्षेत्रों में स्थित तटीय एवं टापूओं की उपलब्ध भूमि पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित विभाग से हस्तांतरित करायी जाकर निजी निवेशकों को विभागीय नीति अनुसार आवंटित की जायेगी ।

13.3 इन जल क्षेत्रों में वहन क्षमता (Carrying Capacity) को ध्यान में रखते हुए निजी निवेशकों को हाउस बोट क्रूज, मोटर बोट एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए लायसेंस दिए जा सकेंगे। लायसेंस देने हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा। जल क्षेत्र की वहन क्षमता, लायसेंस की प्रक्रिया शर्तें एवं फीस आदि निर्धारित करने हेतु इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी ।

13.4 जल क्षेत्रों के समग्र पर्यटन नियोजन एवं अधोसंरचना विकास हेतु पर्यटन विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

13.5 पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित जेट्टी/बोट क्लब/जेट्टी एवं बोट क्लब से लगी हुई भूमियों को जल पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु जल पर्यटन नीति अंतर्गत लायसेंस प्राप्त निवेशकों को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वे अपनी गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकें । इसी तरह क्रूज, सी-प्लेन एवं एमफीबियन पर्यटन वाहन के संचालन स्थल के निकट पर्यटन विभाग को आवंटित भूमि को पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु जल पर्यटन नीति अंतर्गत लायसेंस प्राप्त लायसेंसियों को आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध करायी जायेगी ।

ऐसी भूमि जो कि दो हेक्टेयर से अनाधिक होगी, उपरोक्त लायसेंसियों को रूपये 5 लाख प्रति हैक्टेयर अथवा असिंचित कृषि भूमि के लिए निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन रेट, जो भी अधिक हो, पर उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वे अपनी गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकें ।

13.6 उपरोक्त कंडिका क्र. 13.5 में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड नोडल एजेंसी होगा एवं आवश्यक नियम एवं शर्ते तथा शुल्क आदि का निर्धारण करेगा ।

13.7 पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को जल पर्यटन के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में जल पर्यटन गतिविधियों की स्थापना हेतु लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी ।

14. सम्पोषणीय पर्यटन (Sustainable Tourism) -

पर्यटन स्थलों का विकास एवं प्रबंधन ऐसा होना चाहिये कि वहां पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, स्थानीय परम्पराएं, संस्कृति एवं उत्पादों का प्रभावी संरक्षण हो। इसके लिये पर्यटन विभाग विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही विभिन्न गतिविधियों का गहन विश्लेषण कर ऐसी गतिविधियों को चिन्हित करेगा, जिनका समेकित पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो तथा उन्हें रेग्युलेट करने अथवा रोकने के उपाय भी करेगा। जिन गतिविधियों का सकारात्मक प्रभाव हो उन्हें प्रोत्साहित करने के उपाय भी किये जायेंगे। इस हेतु समुदाय की सहभागिता तथा स्थानीय स्तर पर सूचना, संचार एवं शिक्षा (Information, Education & Communication) के विभिन्न कारकों का प्रभावी उपयोग किया जायेगा। इसमें राज्य शासन के विभिन्न विभागों की संयुक्त भागीदारी की आवश्यकता होगी, जो राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन परिषद के माध्यम से की जा सकेगी।

15. युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी/ कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण -

15.1 युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी/ कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेन्ट (SIHM), मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) एवं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (FCI) के माध्यम से युवाओं को पर्यटन उद्योग हेतु आवश्यक ट्रेड/ क्षेत्रों में शिक्षित/प्रशिक्षित किया जायेगा ।

15.2 भारत शासन की कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम सतत् संचालित कर युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

15.3 राज्य के पर्यटन उद्योग की प्रशिक्षण आवश्यकता का आंकलन कर हॉस्पिटेलिटी, एडवेन्चर टूरिज्म, केटरिंग एंड फूड क्राफ्ट, प्रबंधन एवं कौशल विकास आदि क्षेत्रों में पाठ्यक्रम तैयार कर वित्त प्रतिपोषण किया जायेगा ।

15.4 मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) द्वारा सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की सहभागिता से कराये जायेंगे। मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) को हॉस्पिटेलिटी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा तथा इस संस्थान द्वारा कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षितों का प्रमाणीकरण किया जायेगा ।

15.5 टूरिस्ट गाइड का चयन, प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण भी MPIHT द्वारा किया जायेगा ।

16. निवेशक सहायता (Investor facilitation) –

16.1 इस नीति के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियों हेतु मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा ।

16.2 निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी तथा मानक प्रक्रिया स्थापित की जाएगी |

16.3 निवेशकों को अनुमति/अनापत्ति दिलाने/नवीनीकरण कराने हेतु व्यक्तिश: अनुसरण (Hand holding) प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

16.4 पर्यटन से जुड़े हितग्राहियों से संपर्क एवं समन्वय रखते हुए प्रबंधन एवं संचालन सम्बन्धी समस्या के निराकरण के प्रभावी कदम उठाये जायेगें ।

16.5 पर्यटन संभावित अविकसित नवीन क्षेत्रों में निवेश कर पर्यटन परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी | नवीन पर्यटन सम्भावना वाले क्षेत्रों का विकास कर निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा ।

16.6 नीति अंतर्गत पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु परियोजना वार समय सीमा का निर्धारण किया जायेगा ।

17. Ease of doing Business

17.1 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये विभिन्न विभागों से अनुमतियाँ /अनापत्ति प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन के इन्वेस्ट पोर्टल का उपयोग किया जायेगा | समयसीमा में निवेशकों को अनुमतियां/अनापत्ति आदि प्राप्त हो सके, इसके लिए परिशिष्ट – "क" में वांछित अनुमतियों / अनापत्तियों की विभागवार सूची, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय सीमा आदि का विवरण संलग्न है | इस सूची में आवश्यतानुसार संशोधन करने हेतु पर्यटन विभाग सक्षम होगा |

17.2 Ease of doing Business की अवधारणा को अमल में लाने के लिए अनुमतियां/अनापत्तियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत लाया जायेगा ।

17.3 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये अनुपयोगी तथा अनावश्यक अनुमतियां/अनापत्तियों को समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा |

17.4 निवेशकों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर नियत समयसीमा में परियोजना स्थापना हेतु यथा आवश्यक अनुमतियां /अनापत्तियां प्रदान करना सुनिश्चित किया जायेगा |

17.5 निवेशकों को पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु ऑनलाइन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नीति अंतर्गत भूमि, हेरिटेज परिसंपत्ति एवं मार्ग सुविधा केन्द्रों आदि का आवंटन किया जायेगा |

17.6 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पूर्ण होने पर निजी निवेशकों से पूँजीगत अनुदान प्रकरण ऑनलाइन प्राप्त कर लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में अनुदान प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा |

18. मार्ग सुविधा केन्द्रों का विकास -

प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर योजना बनाकर लगभग प्रति 40 से 50 कि०मी० की दूरी पर उच्च स्तरीय पर्यटक सुविधाओं का विकास, पर्यटन विभाग द्वारा जारी "मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति-2016" के अनुसार किया जायेगा।

पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित ब्राउन फील्ड मार्ग सुविधा केन्द्रों तथा ग्रीन फील्ड मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि के आवंटन के लिए पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी ।

19. पर्यटन को उद्योग के समान सुविधाएं –

नीति की कंडिका 5 में वर्णित परियोजनाओं को उद्योगों के समान निम्नानुसार सुविधायें प्रदान की जायेंगी :-

19.1 पर्यटन परियोजनाओं को औद्योगिक दरों पर विद्युत प्रदाय करने का प्रयास किया जायेगा ।

19.2 प्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित/ विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों/ इंडस्ट्रीयल सिटी/ आई०टी० पार्कस् में एमेनिटीज हेतु आरक्षित भूमि पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु विभागीय नीति के अंतर्गत औद्योगिक दरों पर सेवा क्षेत्र की इकाईयों के रूप में आवंटित की जायेगी ।

19.3 पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमियों के व्यपवर्तन पर औद्योगिक दरों पर डायवर्सन शुल्क लिया जायेगा ।

19.4 पर्यटन परियोजनाओं को जल संसाधन विभाग द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों से औद्योगिक दरों पर जल उपयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

19.5 पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्मित भवनों एवं भूमियों पर स्थानीय निकायों द्वारा औद्योगिक दरों पर संपत्ति कर/ विकास शुल्क आरोपित किया जायेगा ।

20. समग्र पर्यटन विकास हेतु विशेष प्रयास -

20.1 मध्यप्रदेश के पर्यटन उत्पादों के विपणन एवं विज्ञापन तथा ब्रांडिंग के लिये राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय पर्यटक बाजारों तक पहुंच बनायी जायेगी ।

20.2 नये पर्यटन उत्पाद विकसित करने में गैर-सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा ।

20.3 डिजीटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म सहित संचार के सभी माध्यमों का विपणन, प्रचार एवं ब्रांडिंग में योजना बनाकर उपयोग किया जायेगा।

20.4 निजी क्षेत्र के सफल पर्यटन उद्धमियों की विशेषज्ञता एवं श्रेष्ठता का लाभ उठाया जायेगा एवं ऐसे उद्धमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

20.5 निजी ट्रासपोर्ट ऑपरेटर्स को पर्यटन क्षेत्रों से सम्बद्ध करते हुये गुणवत्ता पूर्ण परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

20.6 स्थानीय निकायों विशेषकर नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों को हेरिटेज परिसंपत्तियों एवं अन्य पर्यटन महत्ता के स्थलों के संरक्षण एवं गुणवत्ता पूर्ण जन सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

20.7 देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिये पूर्व नियत प्रवास पैकेज (Fixed Tours) विकसित किये जायेंगे एवं विपणन किया जायेगा।

20.8 विकसित/विकास संभावित पर्यटन क्षेत्रों का समुचित एवं संतुलित विकास मास्टर प्लॉन बनाकर किया जायेगा।

20.9 नई पीढ़ी में पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये शालाओं एवं महाविद्यालयों में विविध गतिविधियां संचालित की जायेगी तथा उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

20.10 पर्यटन क्षेत्र में निवेश इच्छुक उद्यमियों को परियोजना स्थापना के लिये पूर्ण मदद हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जायेगी।

20.11 पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के सम्मान एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न श्रेणियों में "मध्यप्रदेश पर्यटन पुरस्कार" प्रदान किये जायेंगे।

20.12 निजी निवेशकों द्वारा स्थापित पर्यटन परियोजनाओं को विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा ।

20.13 विभाग के मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मार्केटिग कार्यालयों के माध्यम से विभागीय होटल/रिसॉर्टस आदि की मार्केटिंग के साथ-साथ निजी होटल/रिसॉर्टस आदि पर्यटन परियोजनाओं की मार्केटिंग की जायेगी ।

20.14 प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज पर्यटक स्थलों में पर्यटक सुविधाऐं विकसित कर पर्यटन अनुकूल बनाया जाएगा एवं ऐसे स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।

20.15 धार्मिक पर्यटन के अन्तर्गत प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थानों में पर्यटक सुविधाऐं निर्मित कर पर्यटन अनुकूल बनाया जाएगा ।

21. पर्यटन नीति का क्रियान्वयन -

पर्यटन नीति - 2025 के अंतर्गत वांछित सुविधाएं/ रियायतें/अनुज्ञप्तियां आदि देने के लिये संबंधित विभाग आवश्यक दिशा-निर्देश/अधिसूचनाएं/ नियम जारी करेंगे। इस संबंध में मत-भिन्नता अथवा कठिनाई होने पर अथवा नीति के स्पष्टीकरण/व्याख्या/ विवाद-निराकरण के प्रकरणों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा -

- प्रमुख सचिव, वित्त
- प्रमुख सचिव, पर्यटन
- प्रमुख सचिव, वन

- प्रमुख सचिव, संस्कृति
- प्रकरण से संबंधित विभागों के प्रभारी सचिव
- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, इसके सदस्य सचिव होंगे ।

यह समिति प्रचलित नीति के अनुरूप निर्णय ले सकेगी । यह निर्णय अंतिम होगा तथा संबंधित विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन अनिवार्यतः किया जायेगा । यह समिति इस नीति के अंतर्गत यथा उल्लेखित दायित्वों का निर्वहन करेगी ।

यह समिति पर्यटन नीति के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर निवेशकों/विभिन्न स्टेक होल्डर्स से प्राप्त सुझावों/शिकायतों के संबंध में विचार कर निर्णय ले सकेगी । समिति द्वारा लिये गये निर्णयों पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही आवश्यक होगी ।

यह समिति निवेशक द्वारा नीति से परे सुविधायें हेतु आवेदन किए जाने पर कस्टमाईज्ड इन्सेंटिव पैकेज को स्वीकृत कर सकेगी ।

यह समिति निवेशक अथवा स्वयं ही आवश्यकता प्रतीत होने पर किसी इकाई विशेष को स्वीकृत कस्टमाईज्ड इन्सेंटिव पैकेज का पुर्नविलोकन कर सकेगी ।

22. निरसन-

22.1 नवीन नीति के लागू होने के दिनांक से ''पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019'' निरसित मान्य की जायेगी तथापि पूर्व नीति के लागू रहने की अवधि में विभिन्न अनुदानों एवं सुविधाओं हेतु पात्र इकाईयां पूर्व नीति के प्रावधानों के अंतर्गत यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकेंगी ।

22.2 पर्यटन नीति में जहां जहां नीति क्रियान्वयन हेतु "मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड" का दायित्व है, वहाँ वहाँ "मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम" के स्थान पर "मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड" पढ़ा जावे ।

==0==

परिशिष्ट – "क"

निजी निवेशकों को समय सीमा में पर्यटन परियोजना स्थापित करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली विकसित की जाएगी जिसमें निम्न अनुमतियाँ शामिल की जाएंगी :-

अनिवार्य विभागीय अनुमतियों की सूची

स.क्र.	अनुमति	संबंधित विभाग	लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा
1	भवन निर्माण अनुमति	नगरीय निकाय ग्राम पंचायत वन विभाग	45 दिवस (भूमि विकास नियम 2012)
2	भूमि/ संपत्ति पंजीकरण	रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग	1 दिवस (भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899)
3	अग्नि अनापत्ति पत्र	नगरीय निकाय	30 दिवस (भूमि विकास अधिनियम 2012)
4	बिजली कनेक्शन (अस्थायी / स्थायी)	मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी	7 दिवस (विद्युत अधिनियम 2003)
5	जल प्रदाय व्यवस्था	नगरीय आवास एवं विकास निकाय ग्राम पंचायत	15 दिवस (मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961)
6	स्थापना / संचालन के लिए अनुमति	प्रदूषण नियंत्रण मंडल	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981
7	विद्युत कार्य/ स्थापना हेतु ड्राइंग अनुमोदन / निरीक्षण	ऊर्जा विभाग, मुख्य विद्युत निरीक्षक	7 दिवस विद्युत अधिनियम 2003
8	गुमास्ता	श्रम सेवा पोर्टल	1 दिवस (मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958)
9	ट्रेड लाइसेंस	नगरीय निकाय	30 दिवस (मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956)
10	फूड लाइसेंस	FSSAI portal	60 दिवस

अनुमतियाँ जो कि कुछ परियोजनाओं में अनिवार्य हो सकती है

स.क्र.	अनुमति	संबंधित विभाग	लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा
1	भूमि/ पुरातत्व संपत्ति	मध्यप्रदेश पर्यटन/ राजस्व / पुरातत्व	नुजूल अनापत्ति 30 दिवस
2	भूमि उपयोग परिवर्तन	Deemed व्यपवर्तन पर्यटन परियोजना हेतु	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (समय सीमा परिभाषित नहीं) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959(समय सीमा 15 दिवस)
3	नामांतरण	राजस्व	मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (45 दिवस)
4	पेड़ काटने की अनापत्ति	संबंधित जिला कलेक्ट्रेट	मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 /1961
5	Tree Transit	संबंधित जिला कलेक्ट्रेट	मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 /1961
6	Right of way/ Road cutting permission	नगरीय विकास	मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 /1961 (30 दिवस)
7	बार लाइसेंस	आबकारी विभाग	आबकारी नीति
8	CGWA NOC	जल शक्ति मंत्रालय	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986
9	Form C (Foreign guest arrival)	गृह मंत्रालय	यह कंप्लायंस है
10	NOC Forest Department	वन विभाग	---

अनुमतियाँ जो कि परियोजना स्थापित करने वाली फर्म हेतु निर्धारित है

स.क्र.	अनुमति	संबंधित विभाग	लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा
1	प्रोफेशनल टैक्स	वाणिज्यिक कर विभाग	1 दिवस (मध्यप्रदेश राज्य व्यवसाय कर अधिनियम 1995)
2	GST पंजीकरण	राजस्व विभाग , भारत सरकार	1 दिवस (भारतीय संविधान के 101 वें संशोधन अधिनियम, 2016)
3	ESI पंजीकरण	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार	3 दिवस (ठेका श्रम (विनियमन) एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970)
4	PF पंजीकरण	नगरीय निकाय	समय सीमा निर्धारित नहीं
5	VAT Registration	वाणिज्यिक कर विभाग	---
6	संपत्ति कर	नगरीय निकाय	30 दिवस (मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956)
7	नजदीकी पुलिस थाने को पर्यटकों की जानकारी देना	गृह विभाग	यह कंप्लायंस है
8	वन विभाग/ AAI/WRD/ASI/ National Monument authority से अनापत्ति	वन विभाग/ AAI/WRD/ASI/ National Monument authority	---

==o==

TOURISM POLICY 2025

Index

S.No.	Particulars	Page No.
1	Vision Statement	28
2	Guiding Principles	28
3	Strategy	28
4	Madhya Pradesh Tourism Board/ Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Ltd	30
5	Tourism Projects	30
6	Subsidy for Tourism Projects	31
7	To Promote Week-end Tourism	38
8	Exemption from Registration and Stamp Duty Fees	38
9	Allotment of land/heritage assets for establishing Tourism Projects through private investment	39
10	Eco and Adventure Tourism	40
11	Film Tourism	41
12	Constitution of State/ District Tourism Promotion Council	42
13	Water Tourism	42
14	Sustainable Tourism	43
15	Employment oriented skill development, education and training for youth	43
16	Investor facilitation	43
17	Ease of doing Business	44
18	Development of Way Side Amenities	44
19	Facilities to Tourism Sector similar to Industries	44
20	Special Efforts for Comprehensive Tourism Development	45
21	Implementation of Tourism Policy	45
22	Repeal	46

Tourism Policy 2025

1. Vision Statement -

To promote such balanced & sustainable tourism which enables socio-economic development, generate employment opportunities and establishes Madhya Pradesh as a destination that provides a complete tourism experience.

2. Guiding Principles -

The tourism policy is based on the following guiding principles:

2.1 Set up such institutional mechanism which will promote private investment as directed by the State Government.

2.2 Set up an effective regulatory mechanism for sustainable tourism.

2.3 Undertake measures to provide reception, assistance, information, amenities and ensure hygiene, security and infrastructure for the tourists.

2.4 Conservation of heritage and making them places of tourist attraction.

2.5 Eco-tourism to be the tool to sensitize masses about environmental conservation.

2.6 Establish active and coordinated participation of Government departments, voluntary organizations, the local community and other stakeholders of tourism sector.

2.7 Appropriate development of tourism-based projects through Public Private Partnership (PPP).

2.8 **Validity period of Policy -** After amendment the policy shall remain in force for five years from the date of its issuance and projects started/established/expanded, commenced during such period shall qualify for benefits/exemption/concessions under the provision of this Policy. State Government may extend the period of this policy as and when required.

3. Strategy -

The strategy to translate the vision statement and guiding principles in reality will be as under:

3.1 Clear, transparent guidelines and standard procedures will be laid down to attract private investment.

3.2 Relevant research and preparation of necessary database will be undertaken for destination marketing.

3.3 An appropriate system will be developed for preparation of authentic statistical database and for obtaining tourist feedback for systemic reforms.

3.4 Continuous improvement and maintenance of basic infrastructure such as roads, drinking water, power, hygiene, transport, and solid waste management will be ensured.

3.5 Active participation of local bodies will be ensured by sensitizing them towards tourism.

3.6 To promote and market fairs, local cuisine, culture, folk music, dance, costumes, products, art, handicraft and heritage, rural tourism will be encouraged. To execute these activities registered Self Help Groups will be promoted.

3.7 Highest priority will be accorded to conservation and preservation of natural resources and beauty at eco-tourism destinations.

3.8 A comprehensive plan will be prepared for development of identified destinations of spiritual tourism.

3.9 Planned development of tourism facilities near major water bodies will be ensured.

3.10 To promote tourism, effective measures will be taken up for road (bus service) and air connectivity between cities with the active participation of the private sector.

3.11 By simplification of procedures and with the help of local administration necessary steps will be undertaken to promote adventure tourism.

3.12 To promote tourist friendly image of the state, all personnel directly and indirectly engaged in the tourism sector will be trained. Trainings will also ensure generation of employment opportunities for the youth.

3.13 To encourage establishment of tourism projects through private investment, land bank will be strengthened continuously, identifying suitable locations.

3.14 To provide quality accommodation to tourist in the state, establishment of standard and deluxe class hotels with private investment will be encouraged.

3.15 Efforts to include Tourism within the action plan of other relevant departments of the State will be made.

3.16 To encourage establishment of heritage hotels with private investment, subsidies/concessions will be offered.

3.17 To encourage MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) Tourism in the State, establishment of convention centres with private investment will be promoted.

3.18 Subsidies/Concessions will be made available to augment the establishment of various tourism projects including hotels and resorts in the State.

3.19 New tourist destinations and destination of significant importance will be developed. Special packages of incentives will be given to setup the projects in ulterior & inaccessible places.

3.20 Medical Tourism, Destination Wedding tourism and Rural/Agro/Eco Tourism will be encouraged.

3.21 Basic infrastructure will be developed at the infrastructure less land, water bodies and heritage properties located in remote areas.

3.22 To assist the investors in getting the permissions/NOCs, renewal etc. Tourism Board shall act as Nodal Agency. Tourism Board shall adopt handholding process in getting permissions/NOCs/renewal etc.

3.23 To establish Tourism Projects, in coordination with other departments, efforts will be made to apply the concept of Ease of Doing Business.

3.24 Rules and procedures will be framed for the certification of heritage tourism projects by the Tourism Department, and based on this certification, the heritage hotels/tourism projects described in Clause 6 of the policy will be provided with the exemptions/facilities stipulated in the policy.

3.25 To create and generate employment opportunities and for overall development of tourism Gram Stay, Farm Stay and Bread & Breakfast Policy will be formulated to promote & establish such units. Registered Tourism Cooperative Societies & registered Self-Help Groups shall be encouraged to establish such units.

3.26 Tourist centres will be developed as facile destinations for disabled visitors.

3.27 A specific Policy will be formulated in consultation with stake holders to encourage big brands to establish Hotels/Resorts/Mega Tourism Projects.

4. **Madhya Pradesh Tourism Board/ Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Ltd. -**

The role of Madhya Pradesh Tourism Board / MP State Tourism Development Corporation Ltd. for implementation of tourism policy at the ground level is important. The role of the Board/ Corporation will be as under:

4.1 While providing tourism services, the Board shall play a crucial role in establishment, expansion and marketing of tourism services with private investment.

4.2 As per the need, the corporation will be allowed to hand over its units to private sector for operation under management agreement or on a long-term lease.

4.3 To resolve issues related to tourism promotion, management and operations, effective steps shall be taken up in co-ordination with stakeholders of tourism industry.

4.4 Tourism projects shall be established and appropriate support to investors to invest in new undeveloped areas with tourism potential shall be streamlined.

4.5 As and when required Corporation can expand its units and develop new areas of tourism through profits realized.

4.6 Institutions such as Madhya Pradesh Institute of Hospitality and Training, Food Craft Institute, State Institute of Hospitality and Catering Technology which provide higher education and skill development trainings in hospitality, food craft and tourism management, shall be expanded and strengthened.

4.7 Board shall play pivotal role in obtaining loan and grants from State Government, Central Government and Financial Institutions for tourism projects.

4.8 For attracting investments through Private Sector, investor facilitation, providing subsidies and facilities to investors under the policy and for planning implementing and monitoring tourism projects, the department shall constitute a separate division "Investment Promotion and Planning division" within the Madhya Pradesh Tourism Board. A proper set-up for this division shall be devised by the department. Appropriate human resources shall be placed by the Board adhering to this set-up. For the effective operation of this division, government shall provide requisite financial resources to the Board separately.

5. **Tourism Projects -**

Under this Policy following activities shall be treated as Tourism Projects to avail various facilities/subsidies. Definition of Tourism Projects shall be determined as per the notification of Government of India from time to time or shall be determined by the Tourism Department, Government of Madhya Pradesh:

5.1 Hotel (Star, Deluxe and Standard Class)

5.2 Health Farm/Resort/Health and Wellness Resort

5.3 Resort, Camping Site and Fixed tenting units

5.4 Motel and Wayside Amenities

5.5 Heritage Hotel

5.6 Convention Centre (MICE)

5.7 Museum / Aquarium / Theme Parks

5.8 Bed and Breakfast/Home Stay Units

5.9 Golf Course

5.10 Rope way

5.11 Water Park and Water Sports

5.12 Amusement Park
5.13 Caravan Tourism
5.14 Cruise Tourism
5.15 House Boat
5.16 Film studio and development of infrastructure and installation of equipment for film making.
5.17 Adventure Sports
5.18 Sound and light show / Laser show
5.19 Sea Plane
5.20 Amphibian Tourist Vehicle
5.21 Aero sports & Aero Sports Training Centre/ Academy
5.22 Heritage Cafeteria / Motel
5.23 Wildlife resorts
5.24 Gram Stay/Farm Stay
5.25 Other activities related to tourism as notified by Tourism Department of Central/ State Government, from time to time.

6. Subsidy for Tourism Projects -

Tourism Projects established and operationalised during the operative tenure of this policy shall be entitled to capital investment subsidy. Considering to the type of activity and the capital investment, capital subsidy shall be granted as mentioned below:

S. No.	Subsidy Scheme	Minimum capital expenditure, as approved by the department (in lakh rupees)	Percentage of Subsidy against Fixed Capital Investment	Maximum ceiling of Subsidy (Rs. in lac)	Other conditions
6.1	Capital subsidy for Heritage Hotel under Proprietorship	300	15%	200	
6.2	Capital Investment subsidy for establishment of Heritage Hotel where the Heritage Assets are obtained from Tourism Department on Lease	1000	15%	500	
6.3	Capital Investment subsidy to establish a new Deluxe/Three Star or Higher category new Hotel and Resort	1000	15%	500	Minimum 50 lettable air-conditioned rooms should be available.

6.4	Capital Investment subsidy for establishment of new Hotel/Mini Resort of Standard category	200	15%	50	Minimum air-conditioned 25, lettable rooms for hotel and 10 rooms for resorts should be available.
6.5	Capital Investment subsidy for establishment of new Resort and Wellness Centre (Including Resort equipped with Ayurvedic, Yoga and Naturopathic treatment)	500	15%	200	Unit should be established as per the definition, criterion and standards defined by the Government of India/ State Government.
6.6	Capital Investment Subsidy for expansion of established Star/Deluxe/Standard Hotel/ Resort/Heritage Hotel	100	15%	500	Expansion in terms of minimum 50% increased in staying capacity will only be eligible for subsidy
6.7	Capital Investment Subsidy for establishment of 500 or more seater convention centre as above cum Hotel under MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions)	2000	15%	1000	Project must be established in such a way as to conform to the criteria/standards laid down by Government of India for convention centre. Seating capacity of main convention hall taken alone should be 500 or more.
6.8	Capital Investment Subsidy for creation of infrastructure along with installation of equipment to establish Film Studio, Film making, Museum, Aquarium, Theme Park	100	15%	500	
6.9	Capital Investment subsidy for creation of infrastructure and installation of permanent facility/ acquisition of equipment/Tents and	05	15%	300	Installation of permanent facility/ infrastructure shall mean creating/ installing platform/ Jetty/ equipments/ parking sites/ electricity facility/

	facilities to establish Adventure Tourism, Water Tourism, Water Sports, Cruise/House boat, Navigation infrastructure, Amusement Park, Water Park, Sound and Light show, Laser show, Camping (including tents)				water supply etc. and public amenities.
6.10	Capital Investment subsidy for establishment of way side Amenities under Green Field/ Franchise Model with minimum investment of Rs. 25.00 lakh	25	15%	50	Units established and operated as per Departments way side Amenities Policy 2016 at an identified site or at a site approved by the Managing Director, M.P. Tourism Board.
6.11	Capital Investment subsidy for creation of infrastructure such as power supply, water supply, approach road, sewage and drainage system on land and heritage assets obtained from Tourism Department on lease basis.	50	25%	300	
6.12	Installation of Ropeway infrastructure for transport in inaccessible tourist places/ forest areas.	100	40%	500	
6.13	Capital subsidy for establishment of Sea Plane, Amphibian Tourist Vehicle and Aero Sports and Aero Sports Training Centre/Academy	100	25%	1000	Subsidy shall be given after one year from the date of operation of Aero Sports & Aero Sports Academy/ Training Centre. For Sea Plane & Amphibian Tourist Vehicles subsidy shall be released as follows :- • Start of operation - 40% • In subsequent 2nd, 3rd & 4th year @ 20% per year

The Government of Madhya Pradesh, Tourism Department shall be authorized to determine the guidelines, procedures and conditions for the certification of heritage properties mentioned in Clause 6.1, as well as other conditions specified in the above clauses. Additionally, the department will be empowered to make necessary amendments to these guidelines and procedures from time to time.

6.14 Employment to the people of State -

To be eligible for capital subsidy for new Deluxe and Standard hotels being established shall have to give 70% jobs mandatorily to the residents of Madhya Pradesh.

6.15 Special incentives for Wildlife Resorts -

The Government of Madhya Pradesh, Tourism Department shall be authorized to determine the eligibility conditions for capital grants for Wildlife Resorts established within the boundaries of notified National Parks, Tiger Reserves, and Sanctuaries in the state.

Special incentives for Wildlife Resorts

Category of Forest area	Name of forest area	Minimum capital expenditure, as approved by the department (Rs in crore)	Minimum number of rooms	Capital subsidy	Maximum ceiling of capital subsidy (Rs in crore)
A	Kanha, Bandhavgarh, Pench Tiger Reserve, Ratapani Tiger Reserve & adjacent National Parks & Sanctuaries.	5.00	10	20%	1.00
B	Panna & Satpuda Tiger Reserve and adjacent National Parks & Sanctuaries.	3.00	07	20%	2.00
C	Sanjay Dubri Tiger Reserve, Kuno National Park, Veerangana Durgavati Tiger Reserve, Madhav National Park, Gandhi Sagar and other protected areas and adjoining national parks and sanctuaries and all other national parks and sanctuaries of the state except the forest areas falling in the above category "A" and "B". The new entry routes (safari gates) of the forest areas described in the above category "A" and "B" will be considered in the category "C".	1.00	05	20%	3.00

6.16 Additional subsidy to establish Tourism Projects in distant & new ulterior areas -

Additional 5% Capital Investment Subsidy shall be given to the tourism projects established in distant and ulterior areas. In such areas the minimum investment limit shall be 50% of the prescribed limit as mentioned in the Tourism Policy. Similarly, number of rooms ceiling shall be reduced to 50%. There shall be no upper limit on maximum amount of capital subsidy.

The Government of Madhya Pradesh, Tourism Department, will be authorized to define the eligibility conditions for the aforementioned additional grant facilities new as well as the remote/inaccessible locations in the state.

6.17 Capital subsidy to existing hotels for renovation/modernization & upgradation -

A. On upgradation/renovation/modernization of existing standard hotels and mini resorts in to Deluxe Hotels (minimum 50 rooms) resorts (minimum 20 rooms), capital subsidy will be provided as per the tourism policy under such category.

To be eligible for subsidy minimum 10.00 crore investment shall be required.

B. On upgradation/renovation/modernization of existing deluxe hotels and resorts in to 4 star or higher category Hotels (minimum 75 rooms) resorts (minimum 25 rooms), capital subsidy will be provided as per the tourism policy under such category.

To be eligible for subsidy minimum 25.00 crore investment shall be required.

C. All such units shall be entitled for subsidy on capital investment made after the enforcement of this Policy.

6.18 (i) It will be mandatory for all units, who have availed subsidy to run the units at least for three years from the date of availing the subsidy. Such units will submit a self-declaration on or before 15th of April every year regarding continuous operation of the unit.

On non-compliance of above conditions the investor shall have to return the subsidy amount as follows :-

A. Closure of unit within 1 year from the date of receipt of subsidy 80% amount of subsidy has to be refunded.

B. Closure of unit within 2 years from the date of receipt of subsidy 60% amount of subsidy to be refunded.

C. Closure of unit within 3 years from the date of receipt of subsidy 50% amount of subsidy to be refunded.

(ii) For claiming the capital subsidy, application in prescribed format shall have to be submitted by the eligible unit within 1 year from the date of commencement of operation.

(iii) Investment made prior to 3 years from the date of commencement of operation of the unit shall be accepted for calculating the capital subsidy.

6.19 Investment Promotion assistance to setup Large/Mega/Ultra-mega tourism projects -

Large/Mega/Ultra-mega tourism projects shall be entitled for Investment promotion assistance according to their category as follows :-

Category of the project	Minimum capital expenditure, as approved by the department	Minimum number of employment (for residents of M.P.)	Percentage of Investment Promotion Assistance on capital investment made by the unit	Maximum ceiling of Investment Promotion Assistance (Rs in crore)	Year wise Percentage of Disbursement of Investment Promotion Assistance Amount			
					First year	Second year	Third year	Fourth year
Large	Rs. 10.00 crore or more	50	30%	15	10%	10%	5%	5%
Mega	Rs.50.00 crore or more	100	30%	30	10%	10%	5%	5%
Ultra-mega	Rs.100 crore or more	200	30%	90	10%	10%	5%	5%

For setting up Heritage Hotels the requirement of minimum investment and employment condition shall be 50% of the above-mentioned categories.

Any unit claiming Investment Promotion Assistance shall not be entitled for capital subsidy in any other category under the policy.

6.20 Subsidy for Responsible tourism -

(i) Any unit certified by Eco Tourism Society of India shall be entitled for reimbursement of 100% investment made to obtain such certificate subject to a maximum ceiling of Rs. 1.00 lakh.

(ii) Any new or existing tourism unit which setup Pollution Control mechanism according to the guidelines of Pollution Control Board, shall be entitled for 25% subsidy on such investment subject to maximum Rs. 50.00 lakh provided, the minimum investment is made more than 10.00 lakh to setup such mechanism.

6.21 Special incentives to SC/ST entrepreneurs -

SC, ST category entrepreneurs who establishes tourism project under 100% ownership, shall be entitled for an additional 5% capital investment subsidy.

6.22 Phase wise incentives and subsidy to Heritage/Large/Mega & Ultra-Mega projects-

Heritage/Large/Mega/Ultra-mega projects shall be entitled to get phase wise incentives/grant during the implementation of project as per approved implementation timeline. To get phase wise incentives/grant it is mandatory to complete the first phase of the project in 2 years, 2nd phase in 3 years and last phase in 5 years. The unit will get benefits only up to the eligibility limits as per policy.

Under this category, if the unit executes and operates the entire project in one go, then the capital expenditure incurred up to a maximum of 05 years prior to the commencement of the unit (as approved by the department) will be considered valid for the calculation of the capital grant.

6.23 For various grant facilities, only that capital investment will be considered valid which has been finally approved for the capital grant. Accordingly, the eligibility for the project grant and the determination of the project category will be made.

6.24 If any unit is entitled for grant/subsidy in more than one category, shall have an option to choose the category in which they are willing to get the benefit. Out of two similar facility only one category could be chosen. For example, if a unit has the entitlement for both general category of incentive and specific unit category shall be entitled for only one category.

6.25 Assistance for Tourism Marketing -

(i) In National events for getting space/stall, the tourism unit will get 50% financial assistance subject to a maximum ceiling of Rs. 01.00 lakh.

(ii) For international events the tourism units shall be entitled for financial assistance @ 50% of the total expenditure subject a maximum Rs. 2.00 lakh for hiring space/stall and Air fare of 1 person in Economy Class.

(iii) One unit will be entitled only for four events in a year.

(iv) Registered/certified Self-Help Groups/ boards and registered tourism cooperative societies working in the field of Culture/Food/Traditional clothes/Handicraft shall be entitled to get, 100% grant (expenditure made on hiring stall/space, AC-II train fare for 2 persons/Air fare for 1 person in Economy class) subject to a maximum Rs. 1.00 lakh for participation in national/ international events.

6.26 Special grant for operation of Hot Air Balloon -

To promote Adventure Tourism on operation of Hot Air Balloon activity the operator shall be entitled for capital subsidy @ 50% on capital investment excluding the cost of land. The minimum investment in such project should be Rs. 50.00 lakh. The grant shall be given in five years as follows :

- On establishing the activity in First year 15%
- On operation of the activity - Second year 10%
- On operation of the activity - Third year 10%
- On operation of the activity - Fourth year 10%
- On operation of the activity - Fifth year 5%

6.27 Effectiveness of grant eligibility for the allotted / disposed lands/assets of Tourism Department for setting up of tourism projects –

The investors who have been allotted tourism projects on the land/assets by the Tourism Department during the period of effectiveness of this policy shall be eligible to receive grants as per the provisions of this policy even after the expiry of the period of effectiveness of the Tourism Policy, provided the investor has acquired possession of the land and has set up the project within the stipulated time period as per the terms and conditions of the executed lease deed.

6.28 Capital Subsidy on expenditure incurred on setting up of a new tourism project in addition to the existing assets of the Tourism Department –

If a new capital investment of Rs. 1.00 crore or more is made by the investor for setting up a new tourism project on leased/management contract/license units of Tourism Corporation/lands allotted on lease by the Board/surplus land available in brown/green field Way Side Amenities, then such unit will be eligible for capital subsidy on new investment as per subsidy eligibility criteria mentioned in the policy.

6.29 Additional Capital Grant for Promoting Electric Cruises –

An additional 5% capital grant on the approved project cost will be provided under the relevant provisions of the policy to encourage electric cruises.

6.30 For Golf Tourism permission for commercial use to the maximum of 10 percent of the land allotted by the Tourism Department may be given to the investor by the Empowered Committee depending on merits and demerits. The place/infrastructure constructed for commercial use may be sub-leased by the investor within the limit of lease period. The Tourism Department will be authorized to determine the terms and conditions of the sub-lease.

a) To promote Golf Tourism, capital grants will be ensured as per Clause 6.19 of the policy. Expenditure incurred on any commercial use other than the tourism projects mentioned in the policy will not be eligible for grants.

b) To promote Golf Tourism, the Tourism Department will prepare separate projects under the Public-Private Partnership (PPP) model to encourage private investment.

7. To Promote Week-end Tourism

To attract domestic tourists from other states and to encourage weekend tourism, resources will be given to District Tourism Promotion Councils for enhancing and upgrading the tourist facilities as per the expectations of tourists.

8. Exemption from Registration and Stamp Duty Fees

8.1 All new heritage hotel projects shall be exempted from paying Registration Fee and Stamp Duty for the built-up area and one hectare of appurtenant land. If the adjacent land is more than 1 hectare, then in such a case the registration and stamp duty shall be payable as per rules on the land over and above 1 hectare the registration & stamp duty exemption shall be in the form of reimbursement by the Department of Tourism after the commencement of the project.

8.2 Registration and stamp duty shall not be payable on Government land (land parcel, land ancillary to heritage property, land of way side amenity) and properties of Tourism Department given on lease/development agreement/ management agreement/ license for Tourism Project.

8.3 In case of any change in the Commercial Tax Department's Policy regarding exemption in registration fee & stamp duty, the Department of Tourism will reimburse the amount to investor paid as registration fee and stamp duty as mentioned in clause 8.2 above.

9. Allotment of land/heritage assets for establishing Tourism Projects through private investment -

9.1 To fulfil the objectives of tourism promotion and establishment of Tourism Projects through private investment, government land / heritage properties shall transferred free of cost to Tourism Department.

9.2 For disposal of such land / heritage properties transferred to the Tourism Department, Madhya Pradesh Tourism Board shall be authorized on behalf of the Tourism Department.

9.3 The decision on whether the identified Government land / land on which assets are erected and are transferred or would be transferred to Tourism Department would be leased out for 90 / 30 years or will be developed through development agreement or giving on license for 5 to 30 years, shall be finally taken by the Tourism Department.

9.4 Reserve price for disposing such land situated within area limit of municipal bodies or plan area shall be Rs.10 lac per hectare and Rs.5 lac per hectare for any other area as mentioned above.

9.5 The reserve price for bidding of buildings and appurtenant land shall be Rs.1 lac. Identification and selection of such heritage building and appurtenant land for disposal shall be made by the Empowered Committee under the Chairmanship of the Chief Secretary constituted under this Policy.

9.6 Disposal of land and heritage assets shall be made through an open bidding process under the policy. Highest bid proposal over the reserve price shall be selected for allotment.

9.7 Accepted highest bid value amount as above shall be payable in lump sum as premium. In addition to this an amount equal to 1% of this premium amount shall be payable annually as a lease rent.

9.8 Bid amount received against leased land and annual lease rent shall be kept with Madhya Pradesh Tourism Board as an amount received from the Government under a separate head "Disposal of Government Land and Infrastructure Development". Madhya Pradesh Tourism Board can spend this money on survey of land, transfer, tendering process, power-road-water supply, area planning, area development, security of assets and other essential infrastructure development as per the guidelines issued by the Tourism Department.

9.9 Government lands or lands with assets (such as heritage properties) transferred to the Tourism Department will be allocated to private investors for establishing tourism projects by the Madhya Pradesh Tourism Board. The Government of Madhya Pradesh, Tourism Department, will be authorized to determine the transfer process, rules, eligibility criteria, evaluation forms, and other documents as per the policy.

9.10 The tender conditions for land and Way Side Amenities, up to one hectare will be determined in such a way that new entrepreneurs and startup entrepreneurs under the prevailing Startup Policy of the state and women self-help groups promoted by Livelihood Mission, cluster level federations, farmer producer companies and women entrepreneurs/ group of women entrepreneurs get an opportunity to participate in the bidding process.

9.11 Heritage properties allotted to private investor by the Department of Tourism, the time line for establishment of the project shall be given for 5 years which may be extended further 2 years on justified reasons.

9.12 On receipt of a proposal for an ultra mega project, government land in rural areas identified by the proposer from the Revenue/ Tourism Departments land bank will be allotted to the investor on a 90 years lease at the prevailing collector guideline rate for non-irrigated agricultural land of the adjoining/nearby areas or the reserve fixed price for land as quoted in the Tourism Policy, whichever is higher, will be allotted on 90 years lease at 1% annual lease rent. The lease rent will be increased 6 times after every 30 years. If the land from the land bank of the Revenue Department's government land is identified by the proposer, then such land will first be transferred to the Tourism Department. This allotment will be done on the basis of "first come first serve". Such a proposal will be approved by the Empowered Committee constituted under the Tourism Policy.

9.13 **A.** If the land allotted to Way side amenities gets affected (reduced) due to road construction, encroachment or other government construction etc. and if government land adjacent to such land is available, in that case land of equivalent value will be transferred to Tourism Department and in lieu of the affected (reduced) land, the Managing Director Tourism Board is authorised to allot directly to the lessee.

B. If the Way Side Amenities Operator proposes to establish a tourism project with a capital cost of Rs. 1.00 crore or more on the government land adjacent to the land allotted to him, in that case such government land shall be made available to the Tourism Department and land up to a maximum of one hectare can be allotted directly to the Way Side Amenities Operator by the Managing Director, Tourism Board at the prevailing collector guideline rate.

9.14 **Establishment of tourism project in the assets of the State Government Department: -**

Looking into the tourism potential, the Tourism Department will be authorized to establish and operate tourism projects on the assets including the ancillary land such as rest house, guest house, Dak Bungalow, circuit house etc of Narmada Valley Development Authority, Water Resources Department, Public Works Department and departments under the State of Madhya Pradesh.

These assets along with the ancillary land will get transferred to the Tourism Department from the concerned departments and allotted to private investors based on the feasibility of the tourism project as per the relevant policy and procedure of the Tourism Department.

If tourism projects like wellness/theme park/hotel/resort/amusement park etc. are feasible on these transferred lands and assets, then the reserve price for disposal of such asset including land will be determined by adding 50 percent of the prevailing collector guideline rate of that land plus 100 percent of the building valuation done by a registered valuer. The transfer of the said asset will be carried out through the process of transfer as laid down by Madhya Pradesh Government, Tourism Department.

10. Eco and Adventure Tourism -

10.1 Tourism activities shall be carried out in the notified areas under "Madhya Pradesh Forest (Entertainment and Wildlife experience) Rule 2015", excluding forest area notified as Sanctuary or National Park under Wildlife (Conservation) Act, 1972. To promote participation of private sector in this area, Madhya Pradesh Tourism Board

and the concerned undertakings of the Forest Department shall launch appropriate efforts jointly by devising a transparent procedure.

Compliance of all prevailing and relevant forest acts/rules will be strictly complied with during the operation of tourism activities in forest areas.

10.2 Barring the notified area referred to in clause 10.1, Department of Tourism shall be competent to evolve and formulate activities related to Eco Adventure Tourism in other potential areas for the purpose. Activities to be operationalised on any location shall be determined according to local need and potential. In this regard activities such as Camping, Trekking, Angling, Water Sport, Elephant Safari, Cycle Safari, Riding trail, Photo safari, Canoeing Safari, White Water rafting, Rock climbing/Mountaineering, Para-Sailing/Para gliding, Hot air ballooning etc. may be included.

10.3 To attract private investment in Eco-Adventure Tourism, Tourism Department can offer land on lease or license.

10.4 Procedure to offer the land on lease shall be followed in accordance with clause 9 of this policy.

10.5 Land can be given on License also, if construction of permanent nature and massive scale is not required on the land.

10.6 In general land shall be transferred to Tourism Department prior to giving it on License. However, when it is not possible to do so, license can still be given after obtaining the consent of the department in which ownership of such land vests with such conditions that may be imposed by the department.

10.7 In order to give land on license, period of license, conditions, fee shall be determined by the Empowered Committee under the Chairmanship of Chief Secretary constituted under this Policy. In general, period of License granted will not be less than 5 years and more than 15 years.

10.8 License can be given to more than one applicants on the same location for more than one activities.

10.9 For procedure to be adopted while granting license related to Eco-Adventure Tourism, detailed guidelines shall be issued by the Tourism Department.

10.10 Rural & Agro tourism shall be given boost and made more objective by creating better infrastructure facilities.

10.11 Registered Tourism Cooperative Societies shall be eligible for establishing & operation of adventure tourism and camping sites on license on the land available with department of tourism.

11. Film Tourism -

11.1 Film producers face various difficulties in co-ordinating with different departments while asking permission for local level shooting. Tourism Department shall co-ordinate with these departments to obtain the legal mandatory permissions needed for film producers. This service can be extended to the concerned producer company on best effort basis. In this regard General Administration Department shall issue the order to authorise the Tourism department for taking necessary steps.

11.2 Capital Investment subsidy shall be available for capital expenditure on creating infrastructure of permanent nature and installation of equipment for film studio and film production.

11.3 To project and establish, Madhya Pradesh as an ideal shooting destination, an exhaustive publicity campaign shall be taken up.

11.4 To explore the potential of Film tourism in the State, a separate comprehensive Film Tourism Policy shall be formulated to establish state as a preferred destination. To provide trouble free environment, permission and assistance up to district level proper provisions shall be made in the Policy. Provisions for incentives on expenditure incurred in film shooting in the state shall also be considered.

12. Constitution of State/ District Tourism Promotion Council

12.1 The State Tourism Promotion Council shall be established at the State Level. This Council under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, shall be constituted with nominated stakeholders in tourism sector. The constitution of council, functioning, determination of membership etc. shall be notified separately.

12.2 Play a crucial role of public representatives and officers in attracting private investors and managing destinations at local level. In various parts of state, cultural and tourism centric, events are organized at local levels. Therefore, at each district level, District Tourism Promotion Council (DTPC) shall be constituted. The Tourism Department shall issue detailed guidelines to elaborate the activities of this council, its powers and structure etc.

12.3 Regular training and awareness programmes shall be organized in coordination with DTPC to create awareness among people of Government Department/Local residents/ Service Providers/Business community working at Tourism centers and nearby areas.

13. Water Tourism

13.1 Tourism Department shall have the authority to undertake tourism activities in the water bodies under the jurisdiction of Narmada Valley Development Authority, Water Resources Department and the State Government.

13.2 Tourism Department shall get land available in these water areas as river bank or as island transferred from concerned departments, to allot in favour of private investors as per provisions of the policy.

13.3 Keeping in mind, the carrying capacity of these water bodies, license to private investors for house boats, cruise, motor boat and water sports activities, may be given. Madhya Pradesh Tourism Board shall be authorized to grant such licenses. For determination of carrying capacity, licensing procedure, conditions and fee, Empowered Committee under chairmanship of Chief Secretary constituted under the policy shall be competent.

13.4 Tourism Department shall take necessary steps for comprehensive tourism planning and infrastructural development of such area suitable for water tourism.

13.5 Jetty/Boat club setup by tourism department and appurtenant land shall be made available to the licensees whom license had been given under Water Tourism Policy to enable them to operate their activities independently.

Similarly, the land allotted to the Tourism Department near the operational sites of cruise, sea plane and amphibian tourist vehicle will be made available to the licensee's under the Water Tourism Policy for conducting tourism activities as per their requirements.

Such land, not exceeding two hectares will be made available to the above licensee's at Rs. 5 lakh per hectare or at the collector guideline rate fixed for non-irrigated agricultural land, whichever is higher, to enable them to independently operate their activities.

13.6 For implementation of the aforesaid clause 13.5, MPTB shall be the Nodal Agency and shall determine the required rules, conditions & fee etc.

13.7 Preference shall be given to registered Tourism Cooperative Societies in issuing license for operating water tourism activities in notified areas.

14. Sustainable Tourism -

The development and management of tourism destinations should be done in such a manner that effective conservation of environment, natural resources, local traditions, culture and products is taken care of. Department of Tourism shall undertake necessary studies to identify such tourism activities which adversely impact sustainability and wherever necessary, will take required steps to regulate/stop them. Further steps will be taken to encourage those activities having a positive impact. To ensure community participation, effective strategy of IEC (Information, Education and Communication) shall be used at local level. State Tourism Promotion Council shall play a crucial role in ensuring joint participation of all the departments and stakeholders in this endeavour.

15 Employment oriented skill development, education and training for youth -

15.1 Youth shall be educated and trained in trades relevant to the tourism industry, through State Institute of Hospitality Management (SIHM), Madhya Pradesh Institute of Hospitality Training (MPIHT) and Food Craft Institute (FCI) to ensure employment-oriented skill development education in the tourism sector.

15.2 Youth shall be trained through continuous programme of skill development under skill development schemes of Government of India.

15.3 After assessing the training needs of tourism Industry of the State, suitable courses in the area of hospitality, adventure tourism, catering and food craft shall be designed and supported financially.

15.4 Madhya Pradesh Institute of Hospitality Training shall collaborate with national level universities for organizing certificate and diploma courses. Madhya Pradesh Institute of Hospitality Training shall be developed as an institute of excellence in the field of hospitality training and certification.

15.5 Selection of tourist guides, training and certification shall also be performed by MPIHT.

16. Investor facilitation

16.1 The Madhya Pradesh Tourism Board will act as the nodal agency for all activities under this policy.

16.2 Clear, transparent and standardized processes will be established to attract private investment.

16.3 Hand holding process will be ensured to assist investors in obtaining permissions/no objections/renewal at personalised basis.

16.4 Effective steps will be taken to resolve management and operation related issues by maintaining contact and coordination with the stakeholders associated with Tourism.

16.5 Tourism projects will be established by investing in undeveloped new areas with tourism potential. Development of new areas with tourism potential will pave the way for private investment.

16.6 Project specific timelines will be determined for setting up of tourism projects under the policy.

17. Ease of doing Business

17.1 Madhya Pradesh Government's Invest Portal will be used to obtain permissions/no objections from various departments for setting up of tourism projects. To ensure that investors get permissions/no objections within the stipulated time limit, a department-wise list of desired permissions/no objections, details of the time limits set under the Public Service Guarantee Act, etc. is enclosed in Appendix-"A". The Tourism Department will be competent to make amendments in this list as per their requirement.

17.2 To implement the concept of Ease of Doing Business, permissions/no objections will be brought under the Public Service Guarantee Act.

17.3 Efforts will be made to eliminate unnecessary and redundant permissions/no objections for setting up of tourism projects.

17.4 On receipt of online applications from investors, it will be ensured that necessary permissions / no-objection certificates are provided for project establishment within the stipulated time frame.

17.5 Allocation of land, heritage properties and way side amenities etc. under this policy will be done through an online transparent bidding process for establishment of tourism projects.

17.6 After the completion of tourism projects, capital subsidy application will be received online from private investors and the cases will be resolved within the time limits prescribed under the Public Service Guarantee Act.

18. Development of Way Side Amenities

Through proper planning, high quality tourist facilities shall be developed on National/ State highway and other major roads at approximately every 40-50 km distance under "Wayside Amenities Establishment and Operation Policy, 2016" issued by Tourism Department.

Registered Tourism Cooperative Societies shall be eligible to participate in tendering process for Brown field and Green field way side amenities of Tourism Department.

19. Facilities to Tourism Sector similar to Industries -

Projects detailed in clause 5 of the policy, shall be given facilities similar to Industries as below:

19.1 Efforts will be made to make power available to Tourism Projects at industrial tariff.

19.2 Tourism Projects for their establishment will be allotted the land reserved for the purpose of amenities in the Industrial areas/Industrial Parks/Industrial city/IT Parks developed by Commerce & Industries Department, Micro, Small and Medium Enterprise Department, Science & Technology Department of State, as a service sector unit at the rate under departmental policy.

19.3 On diversion of land under M.P. Land Revenue code for Tourism projects, diversion fee shall be charged as per industrial rate.

19.4 For Tourism Projects, Water Resource department shall allow the consumption of water from its sources on industrial rate.

19.5 Local bodies shall charge property tax/development charge on building constructed for Tourism Project as per industrial rate.

20. Special Efforts for Comprehensive Tourism Development

20.1 All efforts will be made to access national as well international tourist markets for marketing, branding, advertising of Tourism Products of Madhya Pradesh.

20.2 In order to develop and encourage new tourism products, support of voluntary/ commercial organizations and experts will be solicited.

20.3 All modes of communication including digital and social media platforms shall be used for marketing, advertising, branding of tourism products.

20.4 Successful entrepreneurs in tourism sector shall be encouraged and their expertise used to benefit the state.

20.5 Private transport operators shall be linked to tourism areas and encouraged to provide quality transport services.

20.6 Local bodies specially Municipal Corporations and Municipalities will be encouraged to support conservation of heritage assets and other places of tourist importance along with establishment of quality public amenities. Required support to them will be extended.

20.7 For domestic and foreign tourists, pre-planned tourist packages (fixed tours) shall be developed and marketed.

20.8 For complete and balanced development of existing tourism area/new areas with tourism potential, masterplans shall be developed.

20.9 To induce awareness and attraction in the new generation various activities will be carried out in schools/colleges and outstanding students will be suitably encouraged.

20.10 An entrepreneur with intent to invest in tourism shall be given full support in establishment of his/her Tourism Project by way of development of infrastructure required there upon.

20.11 To honour and encourage excellence in tourism, "Madhya Pradesh State Tourism Awards" shall be given in various categories.

20.12 Tourism projects established by private investors shall be displayed on Departments' Website.

20.13 Along with MPSTDC's Hotels/resorts private hotel/resorts/tourism projects shall be marketed through marketing infrastructure and marketing offices of MPSTDC.

20.14 Tourist facilities shall be developed at the heritage tourist destinations of Global attractions to make them tourists most favoured destination and intensive marketing and publicity shall be done.

20.15 Under Religious Tourism predominant religious destinations of the State shall be developed according to the need of tourists to make them tourist friendly.

21. Implementation of Tourism Policy

In order to make available required facilities/rebate/license etc. to tourism projects concerned departments shall issue necessary guidelines, notifications or amend the rules. In this context, if difference of opinion arises or difficulties emerge, then matters including clarifications/explanations/disputes shall be placed before the Empowered Committee

comprising of following members under the Chairmanship of Chief Secretary for resolution:-

- Principal Secretary, Finance
- Principal Secretary, Tourism
- Principal Secretary, Forest
- Principal Secretary, Culture
- In-charge Secretary of department related with the case
- Managing Director, Madhya Pradesh Tourism Board shall be the Member Secretary.

Committee may take decision in accordance with the prevailing policy and the decision thus taken shall be final and binding on all concerned and its compliance shall be mandatory for the concerned department. Committee shall discharge all the responsibilities mandated under this policy.

The Committee shall be empowered to take decisions on the basis of suggestions/ complaints made by investors/stake holders. The decision of the Committee shall be binding on all concerned departments to take suitable action.

This Committee may approve customized incentive packages in case the investor applies for benefits beyond the provisions of this policy.

This Committee may review the sanctioned customized incentive packages granted to a particular entity either on request of the investors or Suo motto, as the need arise.

22. Repeal-

22.1 From the date of enforcement of this new policy, "Tourism Policy (2016) amended 2019" shall stand repealed. However, during the currency of previous policy, units eligible for various subsidies and facilities in that period under the provisions of the prevailing policy, will be eligible to the claims in the same manner as they would normally do.

22.2 In the Tourism Policy, wherever responsibility for policy implementation is assigned to "Madhya Pradesh Tourism Board" in those clauses it should be read as "Madhya Pradesh Tourism Board" in place of "Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation".

==0==

Note :- For any clarification / interpretation or contradiction notified Hindi version of this policy shall be referred. In case of any discrepancy, the Hindi version will prevail.

Appendix-"A"

A single window system will be developed to enable private investors to establish tourism projects within the stipulated time frame, the system will include the following permissions:

List of Mandatory Departmental Permissions			
S. No.	**Permission**	**Relevant Departments**	**Time limit under Public Service Guarantee Act**
1	Building permission	Urban Bodies Gram Panchayat Forest department	45 days (Land Development Rules 2012)
2	Land/ Property Registration	Registration and Stamp Department, Commercial Tax Department	1 day (Indian Stamp Act, 1899)
3	Fire NoC	Urban Bodies	30 days (Land Development Act 2012)
4	Electricity Connection (Temporary/Permanent)	Madhya Pradesh Electricity Distribution Company	7 days (Electricity Act 2003)
5	water supply system	Urban Housing and Development Authority/ Gram Panchayat	15 days (Madhya Pradesh Nagar Palika Act 1961)
6	Permission for establishment / operation	Pollution Control Board	Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
7	Electrical work/ Drawing approval for installation / inspection	Energy Department, Chief Electrical Inspector	7 Days, Electricity Act 2003
8	Gumasta (Trade License)	Labor Service Portal	1 day (Madhya Pradesh Shops and Establishment Act 1958)
9	Trade License	Urban Bodies	30 days (Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956)
10	Food License	FSSAI portal	60 days

Permissions that may be mandatory in some projects			
S. No.	**Permission**	**Relevant Departments**	**Time limit under Public Service Guarantee Act**
1	Land / Archaeological Property	Madhya Pradesh Tourism / Revenue / Archaeology	Nuzul NoC, 30 days
2	Land use change	Deemed Diversion for Tourism Projects	Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (time limit not defined) Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (time limit 15 days)
3	Mutation	Revenue	Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (45 days)
4	Tree cutting NoC	Concerned District Collectorate	Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956 /1961
5	Tree Transit	Concerned District Collectorate	Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956 /1961
6	Right of way/ Road cutting permission	Urban Development	Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956 /1961 (30 days)
7	Bar License	Excise Department	Excise Policy
8	CGWA NOC	Ministry of Jal Shakti	Environment (Protection) Act 1986
9	Form C (Foreign guest arrival)	Ministry of Home Affairs	This is a compliance requirement
10	NOC Forest Department	Forest Department	---

==0==

Permissions that are prescribed for the firm setting up the project			
S. No.	**Permission**	**Relevant Departments**	**Time limit under Public Service Guarantee Act**
1	Professional Tax	Commercial Tax Department	1 day (Madhya Pradesh State Professional Tax Act 1995)
2	GST Registration	Department of Revenue, Government of India	1 day (101st Amendment of the Indian Constitution Act, 2016)
3	ESI Registration	Ministry of Labour and Employment, Government of India	3 days (Contract Labour (Regulation) and Abolition Act, 1970)
4	PF Registration	Urban Bodies	No time limit set
5	VAT Registration	Commercial Tax Department	---
6	Property Tax	Urban Bodies	30 days (Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956)
7	Providing information about tourists to the nearest police station	Home Department	This is a compliance requirement
8	No objection from Forest Department/ AAI/ WRD/ ASI/ National Monument authority	Forest Department/ AAI/ WRD/ ASI/ National Monument authority	---

==0==

MP Tourism in the Spotlight

PLAY & PAUSE

Leap from the Sky

Gwalior is in Guinness: Tansen Sangeet Samaroh 2024

The Statesman

Saturday, 22 February 2025

Guinness World Record of 'Classical Dance Relay Marathon' in MP

Officials of the Guinness Records handed over the certificate of the world record to Madhya Pradesh Chief Minister Dr Mohan Yadav at the festival on Thursday evening.

TRAVTALK

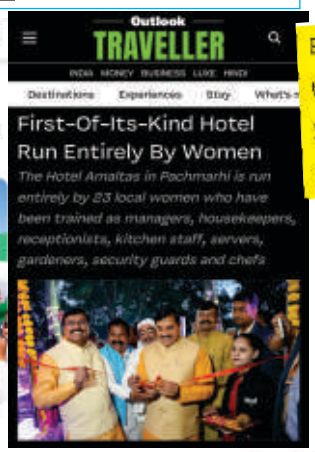

UNESCO puts 4 new Madhya Pradesh destinations on tentative list of World Heritage Sites

Earlier 4 sites were included in 2021, bringing the total sites to 10 under this tentative list by March 2024. Besides, 3 sites from MP are already included in UNESCO's permanent list

THE TIMES OF INDIA

Watch: Madhya Pradesh CM Mohan Yadav inaugurates Sarsi Island Resort in Madakal, takes electric boat ride

WHERE TO GO IN 2025

PRESS TRUST OF INDIA

< Back

Home > National > CM Mohan Yadav launches air services...

CM Mohan Yadav launches air services to promote tourism in MP

BHOPAL: Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav on Thursday launched two air services to promote tourism in the state, particularly with a focus on religious corridors.

Outlook TRAVELLER

INDIA MONEY BUSINESS LUXE HINDI

Destinations Experiences Stay What's

First-Of-Its-Kind Hotel Run Entirely By Women

The Hotel Amaltas in Pachmarhi is run entirely by 23 local women who have been trained as managers, housekeepers, receptionists, kitchen staff, servers, gardeners, security guards and chefs

OFFBEAT MADHYA PRADESH

MADHYA PRADESH TO ESTABLISH A UNIQUE IDENTITY IN GLOBAL TOURISM CHIEF MINISTER DR. MOHAN YADAV

MY VISION IS TO BUILD BRAND MADHYA PRADESH TO ITS NEXT BEST LEVEL

the pioneer

MP to get airports every 150 Km under New Aviation Policy

MPTB eyes investment near tourist locations, issues EoI for 12 land parcels

TOI

ThePrint

Madhya Pradesh records over 11 cr visitors in 2023; Ujjain sees the highest footfall

Madhya Pradesh launches states First Women-Run 'Handloom Cafe' in Pranpur

HOTELIER

State collaborates with France to promote tourism, cultural exchange

बॉलीवुड की स्त्री फिल्म की शूटिंग लोकेशन से सेल्फी ले सकेंगे पर्यटक

Madhya Pradesh Tourism hosts The Madhya Pradesh Mahotsav in Bengaluru

MCL ANNOUNCES A 350 KEY TAJ HOTEL IN INDORE, MADHYA PRADESH

Madhya Pradesh's Pranpur, Sabarvani and Ladpura Recognised as Best Tourism Villages

The heart of
Incredible India

MADHYA PRADESH TOURISM BOARD

6th Floor, Lily Trade Wing, Jehangirabad, Bhopal, M.P. - 462 008
Contact : 0755-2780600
Follow us on
www.mptourism.com

www.tourism.mp.gov.in